भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
लखनऊ

<u>भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ में चाय/कॉफी वेंडिंग मशीनों की स्थापना और संचालन के लिए ई-टेंडर</u>

निविदा आमंत्रण सूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक लखनऊ, निविदा अनुसूची (एसओटी) के अनुसार, "भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ में चाय/कॉफ़ी वेंडिंग मशीनों की स्थापना और संचालन" के कार्य के लिए दो-भाग प्रणाली (भाग I और भाग II – मूल्य बोली) के तहत ई-निविदाएँ आमंत्रित करता है। निविदा एमएसटीसी लिमिटेड के ई-टेंडरिंग पोर्टल (https://www.mstcecommerce.com/eprocn) के माध्यम से की जाएगी।

कार्य की अनुमानित लागत ₹7.00 लाख है। कार्य को शुरू में 01 जुलाई, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक नौ महीने की अवधि के लिए दिया जाएगा और उसे निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित तरीके से नवीनीकृत किया जा सकता है।

निविदा अनुसूची (एसओटी)

a. ई-निविदा संख्या	**RBI/Lucknow Regional Office/HRMD/2/25-26/ET/127 [Installation Tea Vending]**
b. ई-निविदा का संक्षिप्त विवरण	आरबीआई, लखनऊ में चाय/कॉफी वेंडिंग मशीनों की स्थापना और संचालन के लिए ई-निविदा
c. निविदा का तरीका	**ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम** https://mstcecommerce.com/eprocn/ के माध्यम से ऑनलाइन भाग I – तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली
d. पक्षकारों को डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध एनआईटी की तिथि	23 मई 2025 (शुक्रवार) को 14:00 बजे से

e. बोली-पूर्व बैठक (ऑफ़लाइन)	30 मई, 2025, (शुक्रवार) प्रातः 11.00 बजे से आरबीआई, लखनऊ में (पूर्व-बोली बैठक का विवरण बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल www.mstcecommerce.com/eprocn पर अपलोड किया जाएगा)
f. कार्य की अनुमानित लागत	**₹7,00,000/-** जीएसटी सहित (लगभग)
g. बयाना राशि	**₹14,000/- (**चौदह हजार रुपये मात्र) एनईएफटी द्वारा Account Number: 186003001 IFSC: RBIS0LKPA01 (please note that both the 5th and 10th character in IFSC is zero); ईएमडी के प्रेषण का प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना है और एनईएफटी हस्तांतरण की पुष्टि करने वाला ई-मेल anverma@rbi.org.in और ankitasingh@rbi.org.in पर भेजा जा सकता है।
h. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	20 जून 2025 (शुक्रवार) को 14:00 बजे तक
i. www.mstcecommerce.com/eprocn पर बोली प्रारंभ तिथि (तकनीकी वाणिज्यिक और वित्तीय बोली)	23 मई 2025 (शुक्रवार) को 14.00 बजे से
j. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तिथि	20 जून 2025 (शुक्रवार) को 14:00 बजे
k. भाग-I (अर्थात तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) खोलने की तिथि एवं समय भाग-II (वित्तीय बोली) खोलने की तिथि और समय	20 जून 2025 (शुक्रवार) को 15.00 बजे वित्तीय बोली (मूल्य बोली) खोलने की सूचना सभी पात्र बोलीदाताओं को बाद में दी जाएगी

I. लेनदेन शुल्क	लेनदेन शुल्क का भुगतान एमएसटीसी गेटवे/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में या मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा दी गई सलाह के अनुसार

निविदा दस्तावेज एमएसटीसी की वेबसाइट यानी www.mstcecommerce.com पर **23 मई, 2025 को 14:00 बजे** से उपलब्ध होंगे। निविदा दस्तावेज आरबीआई की वेबसाइट - www.rbi.org.in से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। विधिवत भरे गए निविदा दस्तावेज एमएसटीसी की साइट पर **20 जून, 2025 को 14:00 बजे** तक अपलोड किए जाएंगे। फर्मों द्वारा ई-निविदा प्रस्तुत करने के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश निविदा में दिए गए हैं। ईएमडी के बिना या ईएमडी जमा करने की नियत तिथि के बाद प्राप्त होने वाली ऐसी कोई भी निविदा, अवास्तविक मानी जाएगी और निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से खारिज कर दी जाएगी।

इच्छुक निविदाकर्ताओं की **प्री-बिड मीटिंग (ऑफ-लाइन मोड) 30 मई**, **2025 को 11:00 बजे** कार्यालय भवन**,** आरबीआई**,** लखनऊ में आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे निविदा के संबंध में अपनी शंकाओं**,** यदि कोई हो**,** को दूर करने के लिए बैठक में उपस्थित हों। इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल वेबसाइट/ई-पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। बोली लगाने से पहले निविदाकर्ता को किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए उपरोक्त वेबसाइट/ई-पोर्टल को देखना चाहिए।

निविदा में भाग लेने वाले आवेदकों को एमएसटीसी पोर्टल पर निविदा जमा करते समय दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करके निविदा में निर्दिष्ट अपनी आवश्यक पात्रता के बारे में बैंक को संतुष्ट करना होगा। ई-निविदा का भाग-I (तकनीकी और वाणिज्यिक बोली) **20 जून, 2025 को 15:00 बजे** कार्यालय भवन, आरबीआई, लखनऊ में खोला जाएगा। सहायक दस्तावेजों के साथ ई-निविदा के भाग-I की जांच के बाद, यदि कोई भी फर्म निविदा में निर्दिष्ट आवश्यक पात्रता नहीं रखती है, तो बैंक ऐसे निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

केवल उन निविदाकारों, जो निविदा में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के अनुसार अपेक्षित योग्यता रखते हैं, के भाग-II (मूल्य बोली) को अगले दिन पात्र निविदाकारों को विधिवत सूचना देने के पश्चात खोला जाएगा।

बैंक केवल कम मूल्य की निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। बैंक किसी निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। भविष्य में निविदा के संबंध में कोई

भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल उपर्युक्त RBI वेबसाइट और MSTC वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा और समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

23 मई 2025

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ

दावा-अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ ने इच्छुक पक्षों को संविदा की पृष्ठभूमि बताने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। जबकि रिज़र्व बैंक ने इसमें निहित सूचना तैयार करने में सावधानी बरती है और इसे ठीक समझता है, फिर भी न तो रिज़र्व बैंक और न ही इसके कोई अधिकारी या एजेंसी और न ही उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या इससे संबद्ध देने योग्य किसी अन्य जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी अथवा अभ्यावेदन (व्यक्त रूप में हो अथवा निहित हो) प्रदान करते हैं।

जरूरी नहीं है कि यह जानकारी संपूर्ण हो। इच्छुक पक्षों को स्वयं पूछताछ कर लेनी चाहिए और निविदा में भाग लेने वालों को लिखित रूप में यह पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने खुद पूछताछ कर ली है और ई-निविदा प्रस्तुत करने के लिए वे केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त सूचना पर निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की गई है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा इसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसियों या उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों पर बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास संविदा पर आगे न बढ़ने अथवा संविदा के विन्यास को बदलने, इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई समय-सारणी को बदलने अथवा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया या पद्धति को बदलने का अधिकार सुरक्षित है। इसके अलावा, यह निविदा को रद्द करने और सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार भी रखता है और निविदा के तहत रुचि व्यक्त करने/आवेदन करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी रखता है। निविदा के तहत रुचि व्यक्त करने/आवेदन करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

विषयसूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश	3-8
2.	निविदा की अनुसूची	9-11
3.	सामान्य निर्देश	12-13
4.	बोलीदाताओं के लिए योग्यता मानदंड	13-15
5.	बोली में भाग लेने के लिए निर्देश	15-23
6.	सामान्य नियम एवं शर्तें	23-39
7.	कार्य का दायरा	39-45
8.	टेक्नो कमर्शियल बोली	46-49
9.	31 मार्च 2025 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान पूर्ण किए गए समान कार्यों की अनुभव सूची	50
10.	घोषणा	51
11.	वित्तीय बोली का प्रारूप	53-55
12.	बैंकर प्रमाण पत्र का प्रारूप	56
13.	ग्राहक के प्रमाणपत्र का प्रारूप	57
14.	कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी का प्रारूप	58-61
15.	करारनामा	62-63
16.	वित्तीय / मूल्य बोली का मूल्यांकन	64-65

ई-खरीद के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

यह आरबीआई का ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता/ठेकेदार MSTC लिमिटेड है। आपसे अनुरोध है कि आप अपना ऑनलाइन टेंडर जमा करने से पहले टेंडर आमंत्रण नोटिस और उसके बाद के संशोधन (यदि कोई हो) को ध्यान से पढ़ें और समझें।

1. <u>ई-निविदा की प्रक्रिया</u>

A) **पंजीकरण:** इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर वेंडर का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही वेंडरअपनी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ इंटरनेट पर मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाई जाएगी। वेंडर के पास क्लास III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। वेंडरों को इंटरनेट से जुड़े पी.सी. से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। ऐसी व्यवस्था करने के लिए RBI जिम्मेदार नहीं है। (बिना डिजिटल हस्ताक्षर के बोलियाँ दर्ज नहीं की जाएँगी)।

विशेष नोट: मूल्य बोली और वाणिज्यिक बोली केवल www.mstcecommerce.com/eprocn/ (**संस्करण** 3) **पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए।**

1) वेंडरों को www.mstcecommerce.com/eprocn पर Register as Vendor -- Filling up details and creating own user id and password Submit. For further details, go to Download Guide / Video / Registration ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।

वेंडरों को पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान दिए गए ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया MSTC / RBI से ई-टेंडर के निर्धारित समय से पहले संपर्क करें।

सम्पर्क विवरण

a) वेंडरों के लिए संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी):

HO Central Help Desk: (For vendors)

Phone Number: 07969066600

helpdeskho@mstcindia.in (Please mention "HO Helpdesk" as subject while sending emails)

उपलब्धता: सभी तकनीकी मुद्दों जैसे ई-टेंडर, सिस्टम सेटिंग आदि के लिए सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक।

b) संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी)

0522 – 2236396, 4244702 & 4240445

c) आरबीआई में संपर्क व्यक्ति

1. सुश्री अंकिता सिंह (सहायक महाप्रबंधक): 9554817267 (ankitasingh@rbi.org.in)
2. श्री अनुसूया नंद वर्मा (सहायक प्रबंधक) : 9005742113 (anverma@rbi.org.in)

2.B) 1. सिस्टम आवश्यकताएँ

विवरण के लिए, वेंडर डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड का संदर्भ ले सकते हैं जो https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर उपलब्ध है।

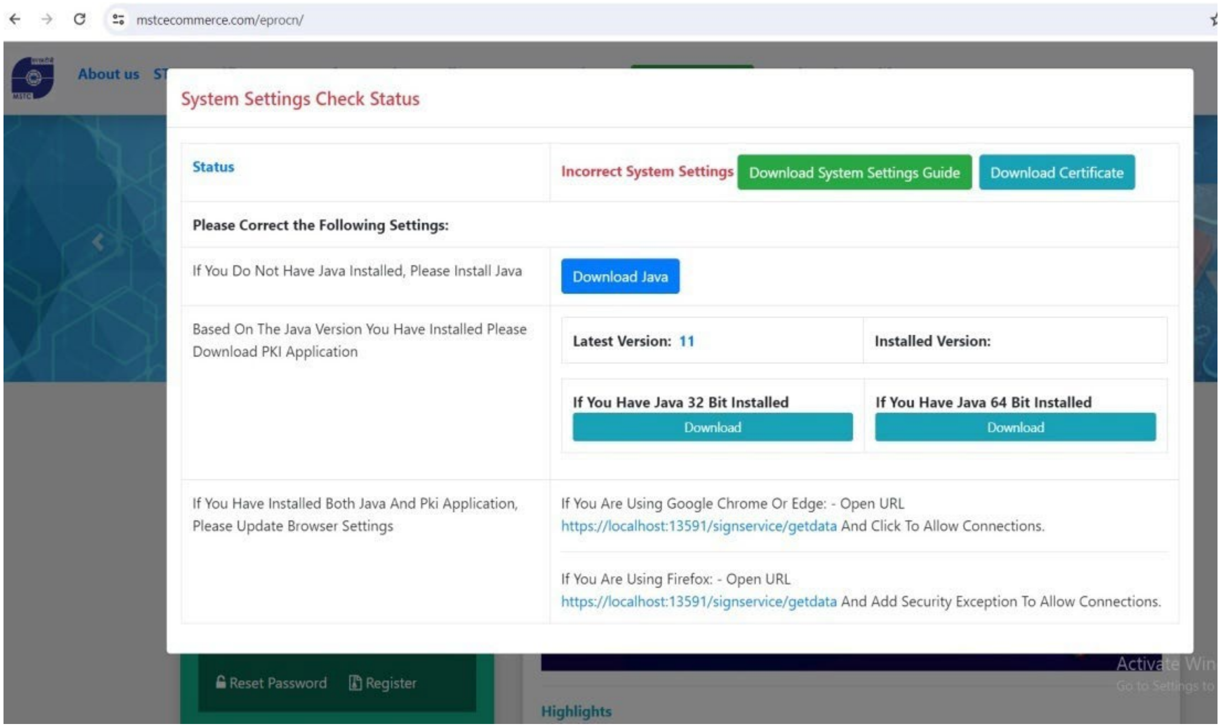

3. <u>लेनदेन शुल्क के संबंध में विशेष नोट:</u>

वेंडर अपने लॉगिन के माध्यम से "Bid Floor" में विशिष्ट निविदा के सापेक्ष "Event catalog" में "Transaction Fee Payment" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/वेंडर के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होने चाहिए। एनईएफटी का चयन करने पर, सेवा प्रदाता/ठेकेदार/वेंडर एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/वेंडर चालान में बिना कोई बदलाव किए उस पर छपे विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, सेवा प्रदाता/ठेकेदार/वेंडर को अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का विकल्प प्राप्त होगा। लेनदेन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना वेंडर को ऑनलाइन ई-टेंडर तक पहुंच नहीं मिलेगी।

<u>नोट</u>

बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे गतिविधि समाप्ति-समय के पूर्व ही लेन-देन शुल्क प्रेषित कर दें ताकि बोली प्रस्तुत करने हेतु उन्हें पर्याप्त समय मिल सके।

निविदा प्रक्रिया के दौरान निविदा को अंतिम रूप दिए जाने तक अपलोड की गई निविदाओं / शुद्धिपत्र के बारे में जानकारी ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए वेंडर यह सुनिश्चित कर लें कि एमएसटीसी पर पंजीकरण के समय उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई ईमेल आई.डी. वैध और अद्यतन हो। वेंडरों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) की वैधता सुनिश्चित कर लें।

एनआईटी में उल्लिखित नियत तिथि और समय के पश्चात ई-निविदा को एक्सेस नहीं किया जा सकता है।

4. 5. ई-निविदा में बोली लगाना

नोट/Note: वेंडर document library में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए My menu में Upload Documents लिंक का उपयोग करें । कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एकल दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी है।

लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड होने के बाद, वेंडर विशेष ई-टेंडर के सापेक्ष Attach Document लिंक के माध्यम से दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि दस्तावेज़ किसी ई-टेंडर से संलग्न नहीं हैं, तो उसे RBI द्वारा डाउनलोड नहीं किया जा सकता है और यह माना जाएगा कि वेंडर ने दस्तावेज़ जमा नहीं किए हैं। अधिक सहायता के लिए कृपया वेंडर गाइड के निर्देशों का पालन करें।

a) बोलीदाताओं को ई-निविदा के लिए आवश्यक ईएमडी, ई-निविदा शुल्क (यदि कोई हो) और लेनदेन शुल्क अलग से जमा करना होगा। लेनदेन शुल्क (यदि कोई हो) वापस नहीं किया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी आरबीआई द्वारा वापस कर दी जाएगी।

b) इस प्रक्रिया में टेक्नो कमर्शियल बोली के साथ-साथ मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।

जिन बोलीदाताओं ने उपरोक्त शुल्क जमा कर दिए हैं, वे केवल एमएसटीसी की वेबसाइट www.mstcecommerce.com → e-procurement → New Common Portal → Bid Floor Manager→ live event →Selection of the live event→ Transaction fee->Common terms->Attach Documents->Price Bid पर इंटरनेट के माध्यम से अपनी टेक्नो कमर्शियल बोलियां और मूल्य बोली जमा कर सकते हैं।

लेनदेन शुल्क और ईएमडी विवरण के सफल प्रेषण के बाद, वेंडर के लॉगिन में संलग्न दस्तावेज और सामान्य शर्तें टैब सक्षम हो जाएगा। इस चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, विक्रेताओं को लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और पोर्टल के माध्यम से लॉट के लिए अपनी मूल्य बोली जमा करने या मूल्य बोलियां जमा करने के लिए एक्सेल फ़ाइल डाउनलोड करने और अपलोड करने, जैसा भी मामला हो, की अनुमति दी जाएगी । यदि दस्तावेज़ संलग्न करना और/या सामान्य शर्तें सहेजने का चरण असफल होता है, तो लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और मूल्य बोली जमा करने के लिए टैब अक्षम हो जाएंगे। बिड स्टैटस बटन में सफल/लंबित होने की स्थिति प्रदर्शित हो जाएगी।

c) सबसे पहले वेंडर को वाणिज्यिक विनिर्देश (अगर कोई हो) को भरना होगा और उसे सेव करना होगा। फिर वेंडर को टेक्नो-कमर्शियल बोली भरनी चाहिए। टेक्नो-कमर्शियल बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी टेक्नो-कमर्शियल बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। ऐसा करने के बाद, प्राइस बिड लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे भरना होता है और फिर बोलीदाता को अपनी प्राइस बिड दर्ज करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार जब टेक्नो-कमर्शियल बोली और प्राइस बिड दोनों सेव हो जाती है, तो बोलीदाता अपनी बोली दर्ज करने के लिए "फाइनल सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।

नोट: final submissionपर क्लिक करने के बाद "Delete bid" विकल्प दिखेगा। यदि वेंडर final submission के बाद बोली हटाना चाहता है और बोली को फिर से सबमिट करना चाहता है, तो उसे "Delete bid" पर क्लिक करना चाहिए और उसे फिर से सबमिट करना चाहिए और फिर से final submission पर क्लिक करना चाहिए।

d) सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ-साथ अपना स्वयं का आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।

e) संपूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक-दूसरे के लिए तथा अन्य सभी के लिए पूर्णतः गुमनाम रहेंगे।

f) ई-निविदा मंच पूर्व घोषित तिथि एवं समय से लेकर ऊपर उल्लिखित अवधि तक खुला रहेगा।

g) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा पेश की गई वैध बोली माना जाएगा और खरीदार द्वारा

उसे स्वीकार करने से आपूर्ति/कार्य के निष्पादन के लिए खरीदार और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बन जाएगा। ऐसे सफल निविदाकर्ता को आगे आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार कहा जाएगा।

h) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां श्रेणी III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं, अन्यथा उन्हें सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

i) क्रेता बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से रद्द करने, अस्वीकार करने, स्वीकार करने, वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

j) ई-निविदा दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-टेंडर फ़्लोर में बोली प्रस्तुत करना ई-निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।

k) माप की इकाई (यूओएम) ई-टेंडर फ्लोर में दर्शाई गई है। उद्धृत की जाने वाली दर ई-टेंडर फ्लोर/टेंडर दस्तावेज़ में दर्शाई गई यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए।

एनआईटी में उल्लिखित नियत तिथि और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकेगी।

तकनीकी एवं वाणिज्यिक नियमों एवं शर्तों में किसी भी प्रकार का विचलन स्वीकार्य नहीं है।

निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए इस ई-निविदा को रद्द करने या बोलियों की प्राप्ति की नियत तिथि को बढ़ाने का अधिकार है।

वेंडरों से अनुरोध है कि वे बोली लगाने से पहले प्रणाली से परिचित होने के लिए विक्रेता मार्गदर्शिका पढ़ें और https://www.mstcecommerce.com पृष्ठ पर वीडियो देखें।

महत्वपूर्ण नोट/ Important Note

ऑनलाइन मूल्य बोली में, **1000** अक्षरों की शब्द सीमा के कारण, पूर्ण विवरण नहीं दिया जा सका तथा दिया गया विवरण संक्षिप्त है। ऑनलाइन दरें उद्धृत करने से पहले, सभी ठेकेदारों को निविदा दस्तावेज के भाग-II में दिए गए बिना मूल्य वाले मात्रा बिल (**BOQ)** में दिए गए प्रत्येक आइटम का पूरा विवरण अवश्य पढ़ना चाहिए। निष्पादन और दर उद्देश्य के लिए, निविदा दस्तावेज के भाग-**II** में दिए गए बिना मूल्य वाले मात्रा बिल में उल्लिखित विवरण को लागू किया जाएगा।

निविदा अनुसूची (एसओटी)

a. ई-निविदा संख्या	**RBI/Lucknow Regional Office/HRMD/2/25-26/ET/127 [Installation Tea Vending]**
b. ई-निविदा का संक्षिप्त विवरण	आरबीआई, लखनऊ में चाय/कॉफी वेंडिंग मशीनों की स्थापना और संचालन के लिए ई-निविदा
c. निविदा का तरीका	**ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम** / **e-Procurement System** ऑनलाइन भाग I – तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II – मूल्य बोली https://mstcecommerce.com/eprocn/ के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।
d. पक्षकारों के लिए डाउनलोड हेतु उपलब्ध निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) की तिथि	23 मई 2025 (शुक्रवार) को 14:00 बजे से
e. बोली-पूर्व बैठक (ऑफ़लाइन)	30 मई, 2025, (शुक्रवार) प्रातः 11.00 बजे से आरबीआई, लखनऊ में ((पूर्व-बोली बैठक का विवरण बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल www.mstcecommerce.com/eprocn पर अपलोड किया जाएगा)
f. कार्य की अनुमानित लागत	**₹7,00,000/-** जीएसटी सहित (लगभग)

g. बयाना राशि	**₹14,000/- (**केवल चौदह हजार रुपये) एनईएफटी द्वारा Account Number: 186003001 IFSC: RBIS0LKPA01 (please note that both the 5th and 10th character in IFSC is zero); ईएमडी के प्रेषण का प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना है और एनईएफटी हस्तांतरण की पुष्टि करने वाला ई-मेल anverma@rbi.org.in और ankitasingh@rbi.org.in पर भेजा जा सकता है।
h. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	20 जून 2025 (शुक्रवार) को 14:00 बजे
i. बोली प्रारंभ तिथि (तकनीकी वाणिज्यिक और वित्तीय बोली) www.mstcecommerce.com/eprocn पर	23 मई 2025 (शुक्रवार) को 14.00 बजे
j. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तिथि	20 जून 2025 (शुक्रवार) को 14:00 बजे
k. भाग-I (अर्थात तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) खोलने की तिथि एवं समय भाग-II (वित्तीय बोली) खोलने की तिथि और समय	20 जून 2025 (शुक्रवार) को 15.00 बजे वित्तीय बोली (मूल्य बोली) खोलने की सूचना सभी पात्र बोलीदाताओं को बाद में दी जाएगी
l. लेनदेन शुल्क	एमएसटीसी गेटवे/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में या मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा सलाह के अनुसार लेनदेन शुल्क का भुगतान

भाग-I टेक्नो कमर्शियल बोली

1. सामान्य निर्देश

1.1. बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ में चाय/कॉफ़ी वेंडिंग मशीनों की स्थापना और संचालन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र निविदाकारों से दो-बोली प्रणाली के तहत ई-निविदाएँ आमंत्रित करता है, जो कि 01 जुलाई, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक नौ महीने की प्रारंभिक अवधि, जैसा कि अनुबंध संबंधी दायित्वों में निर्धारित है, के लिए है। हालाँकि, संबंधित कंपनी/फ़र्म/एजेंसी द्वारा संतोषजनक प्रदर्शन और अनुबंध संबंधी दायित्वों के पालन के अधीन अनुबंध को दो साल की अवधि (एक बार में एक वर्ष) के लिए सालाना आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

1.2. इस कार्य में भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के मुख्य कार्यालय भवन में चाय/कॉफ़ी वेंडिंग मशीनों की आपूर्ति सहित उनकी स्थापना और संचालन शामिल होगा। कार्य के विस्तृत दायरे के संबंध में, निविदाकर्ताओं को दस्तावेज़ के अनुभाग '5' को देखने की सलाह दी जाती है।

1.3 बैंक की अपेक्षा है कि बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध रखने में रुचि रखने वाले सेवा प्रदाता अनुबंध/संलग्नता की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करें। इस नीति के अनुसरण में, बैंक:

a) इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, नीचे दिए गए शब्दों को निषिद्ध प्रथाओं के रूप में परिभाषित किया गया है:

- "भ्रष्ट आचरण" का अर्थ है किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी मूल्यवान वस्तु की पेशकश करना, देना, प्राप्त करना या मांगना;
- "धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार" का अर्थ है कोई भी कार्य या चूक, जिसमें गलत बयानी भी शामिल है, जो जानबूझकर या लापरवाही से किसी पक्ष को वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने या किसी दायित्व से बचने के लिए गुमराह करता है, या गुमराह करने का प्रयास करता है;

- "बलपूर्वक व्यवहार" का अर्थ है किसी पक्ष या पक्ष की संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, जिससे किसी पक्ष के कार्यों पर अनुचित प्रभाव पड़े; तथा
- "सांठगांठपूर्ण व्यवहार" का अर्थ है दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक व्यवस्था जो किसी अनुचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई है, जिसमें किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित तरीके से प्रभावित करना शामिल है;

(b) यदि यह निर्धारित होता है कि निविदा हासिल करने के लिए अनुशंसित निविदाकर्ता ने संबंधित निविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय निषिद्ध प्रथाओं में भाग लिया है, तो निविदा प्रदान करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(c) यदि किसी भी समय बैंक यह निर्धारित करता है कि निविदाकर्ता ने अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने या उसे निष्पादित करने में निषिद्ध कार्यकलापों में भाग लिया है, तो वह किसी निविदाकर्ता को अनिश्चित काल के लिए या निर्दिष्ट समयावधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है।

2. बोलीदाताओं के लिए योग्यता मानदंड

2.1 बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाली एजेंसी को कंपनी/साझेदारी फर्म/प्रोपराइटरशिप फर्म के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और संबंधित जीएसटी अधिनियमों के तहत पंजीकृत होना चाहिए। कंपनी के मामले में, निगमन का प्रमाण पत्र और व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र, कंपनी के अंतर्नियम और बहिर्नियम के लेख और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज और सभी निदेशकों और जिम्मेदार अधिकारियों के विवरण प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैं। साझेदारी फर्म के मामले में, साझेदारी विलेख, मुख्तारनामा, यदि कोई हो और फर्म का गठन करने वाले सभी भागीदारों के विवरण; और एजेंसी या प्रोपराइटरशिप फर्म के मामले में, नाम(ओं) और पते(ओं) आदि के साथ इसमें शामिल व्यक्ति/व्यक्तियों के विवरण प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैं। प्रोपराइटरशिप के मामले में, प्रतिनिधि की स्पष्ट रूप से पहचान करते हुए विधिवत निष्पादित असाइनमेंट डीड भी प्रस्तुत की जाएगी जिसमें लिखा होगा कि प्रोप्राइटर की मृत्यु/अक्षमता के बाद कौन ठेकेदारी दायित्व का निर्वहन करेगा। तथापि, ऐसी स्थिति में, विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था के रूप में, पहचाने गए प्रतिनिधि/असाइनी के साथ अनुबंध को शेष अवधि के लिए

या नया अनुबंध निष्पादित होने तक, जो भी पहले हो, जारी रखना बैंक का विशेषाधिकार/अधिकार होगा। अनुबंध की अवधि के दौरान, एजेंसी नवीनीकरण करके पंजीकरण/लाइसेंस को वैध (जहाँ भी लागू हो) बनाए रखेगी। आवेदन करने की इच्छुक एजेंसियों को आवश्यक पात्रता रखने के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा और ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में, बैंक उनकी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निविदा में भाग लेने वाली एजेंसियों को निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें एमएसटीसी पर अपलोड करने के लिए एक अधिकारी को अधिकृत करने की आवश्यकता है। इस आशय का प्राधिकर पत्र एमएसटीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

2.2 बोली लगाने वाले के पास **31 मार्च, 2025 तक कम से कम पांच साल का अनुभव** होना चाहिए, यानी फर्म ने मार्च 2020 या उससे पहले कोई ऐसा ही काम किया हो। बोली लगाने वाले को पिछले पांच वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों के दस्तावेजी प्रमाणों के साथ एक सूची प्रस्तुत करनी होगी। दस्तावेजी प्रमाण में ग्राहकों से प्राप्त कार्य आदेश, करार, पूर्णता प्रमाण पत्र / प्रदर्शन प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-सी के अनुसार) आदि शामिल होंगे, जिनकी प्रामाणिकता बैंक द्वारा विभिन्न तरीकों से सत्यापित की जाएगी।

2.3. कार्य की अनुमानित लागत **₹7,00,000/-** है और इसलिए बोलीदाता को **31 मार्च 2025 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान इसी तरह के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है** (दस्तावेजी प्रमाण में आवश्यक रूप से ग्राहक प्रमाणपत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज जैसे कार्य आदेश, करार, पूर्णता प्रमाण पत्र / प्रदर्शन प्रमाण पत्र (अनुलग्नक - सी के अनुसार) आदि शामिल होंगे, जिनकी प्रामाणिकता बैंक द्वारा विभिन्न तरीकों से सत्यापित की जाएगी)।

i. तीन समान पूर्ण किए गए कार्य (चाय/कॉफी वेंडिंग मशीनों का संचालन) प्रत्येक की लागत ₹2,80,000/- (अनुमानित लागत का 40%) से कम नहीं होनी चाहिए।

ii. दो समान पूर्ण किए गए कार्य (चाय/कॉफी वेंडिंग मशीनों का संचालन) प्रत्येक की लागत ₹3,50,000/- (अनुमानित लागत का 50%) से कम नहीं होनी चाहिए।

iii. एक समान पूर्ण किया गया कार्य (चाय/कॉफी वेंडिंग मशीनों का संचालन) जिसकी लागत ₹5,60,000/- से कम न हो (अनुमानित लागत का 80%)

यदि ठेकेदार की प्राप्तियों का एक हिस्सा सीधे संस्थान के कर्मचारियों/ग्राहकों से प्राप्त होता है, तो निविदाकर्ता को कार्य के उस हिस्से की अनुमानित वार्षिक बिक्री के संबंध में ग्राहक संस्थानों से प्रमाणित विवरण प्रस्तुत करना होगा।

2.4. निविदाकर्ताओं के पास 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार 7,00,000/- रुपये होना चाहिए, अर्थात वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए। निविदाकर्ताओं को 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित व्यवसाय के ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों (ऑडिटेड बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते) के साथ आयकर मूल्यांकन आदेश / आईटी रिटर्न की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी या पिछले तीन वर्षों के लिए उनकी क्रेडिट योग्यता और टर्नओवर के समर्थन में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी टर्नओवर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.5. निविदाकर्ताओं को श्रम आयुक्तालय, ईएसआईसी, ईपीएफओ आदि जैसे निकायों से वैधानिक पंजीकरण/लाइसेंस प्राप्त करना होगा। पैन, जीएसटी, एफएसएसएआई, खाद्य प्रतिष्ठानों का लाइसेंस, आदि दस्तावेजी साक्ष्य और पंजीकरण प्रमाणपत्र द्वारा विधिवत समर्थित प्रस्तुत किए जाने चाहिए। निविदाकर्ता को लागू अनुबंध श्रम कानूनों के तहत वैध पंजीकरण/लाइसेंस प्रस्तुत करना होगा।

2.6. सेवा प्रदाता को अनुलग्नक-बी के अनुसार अपने बैंकर से **₹7,00,000/-** की राशि के लिए बैंकर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इस प्रमाणपत्र को जारी करने की तिथि 31 मार्च, 2025 से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

2.7 निविदा देने वाली फर्मों/कंपनियों का अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में चालू खाता होना चाहिए तथा वे भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए तैयार रहेंगी।

2.8. **बोलीदाता को इस निविदा दस्तावेज के अनुलग्नक-ए का संदर्भ लेना होगा तथा उसमें उल्लिखित सभी डेटा और ऊपर उल्लिखित सभी विवरणों को अपलोड करना होगा।**

2.9. **बोलीदाता को निविदा के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले सभी प्रासंगिक दस्तावेज, रिपोर्ट और अन्य विवरण निविदा प्रस्तुत करने की नियत तिथि के भीतर प्रस्तुत करने होंगे। हालांकि, बैंक किसी भी या सभी बोलीदाताओं से स्पष्टीकरण, प्रमाण पत्र, रिपोर्ट या कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी, जो निविदा प्रस्तुत करने की नियत तिथि के बाद भी पात्रता मानदंड का हिस्सा है, को मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बोलीदाता को बैंक द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर इसे प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा बैंक बोलीदाता को अयोग्य मानने के लिए बाध्य होगा।**

3. बोली में भाग लेने के लिए बोलीदाताओं के लिए निर्देश

3.1. निविदा का भाग I और भाग-II सभी मामलों में पूरा किया जाएगा और बोलीदाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दस्तावेज़ में बताई गई तारीख और समय से पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। बैंक अपने विवेक से निविदा दस्तावेज़ में संशोधन करके निविदाएँ प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।

3.2. इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदाएं प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ताओं को निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रस्तुति प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

3.3. सभी सूचनाओं के साथ ई-निविदा निर्धारित समय और तिथि पर या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि वांछित / निर्धारित जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो बैंक निविदा को अस्वीकार करने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। ई-पोर्टल पर समय सीमा के बाद कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

3.4. बोलीदाताओं को निविदा दस्तावेज के भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) को पूर्ण रूप से स्वीकार करना होगा और उन्हें बोलीदाताओं के लिए योग्यता मानदंड (खंड '2') में उल्लिखित आवश्यक पात्रता रखने के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा। ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में, बैंक के पास उनकी निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार है।

3.5. निविदाकर्ता डिजिटल हस्ताक्षर करने तथा तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के तहत उल्लिखित शर्तों को स्वीकार करने के बाद ई-टेंडरिंग पोर्टल में निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप में अपनी वित्तीय बोली (प्रतिस्पर्धी दरें) प्रस्तुत कर सकते हैं।

3.6. ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए बोलीदाताओं को आवश्यक ईएमडी और लेनदेन शुल्क जमा करना होगा। बोलीदाताओं को ₹14,000/- (केवल चौदह हजार रुपये) की राशि के लिए बयाना राशि जमा करनी होगी।

i. By NEFT/RTGS to Account Number: 186003001; IFSC: RBIS0LKPA01 (please note that both the 5th and 10th character in IFSC is zero);

3.7. ऊपर बताए गए तरीकों के अलावा किसी अन्य तरीके से ईएमडी जमा करने के तरीके बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। किसी भी निविदा के साथ उक्त राशि के लिए ईएमडी न होने पर उसे तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। यदि बोलीदाता निविदा वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली (निविदा) वापस ले लेता है या अनुबंध निष्पादित करने या कार्य प्राप्ति को स्वीकार करने में विफल रहता है, तो ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

3.8. इस दस्तावेज़ के बारे में किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता के लिए निविदाकर्ताओं को इस दस्तावेज़ में उल्लिखित ईमेल पते पर बैंक से लिखित रूप से संपर्क करना चाहिए या बोली-पूर्व बैठक के दौरान पूछताछ करनी चाहिए।

3.9. इच्छुक बोलीदाताओं, जिन्होंने बैंक के प्रामाणिक स्रोत से इसका समाधान प्राप्त करना चुना है, के लिए निविदा के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करने हेतु एक प्री-बिड मीटिंग आयोजित की जाएगी। बैठक 30 मई, 2025 (शुक्रवार) को 11:00 बजे आरबीआई, लखनऊ में आयोजित की जाएगी। प्री-बिड मीटिंग में भाग लेने मात्र से अनुबंध सौंपे जाने की गारंटी नहीं होगी और यह निविदा में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है। प्री-बिड मीटिंग में भागीदारी केवल स्वैच्छिक है और इसमें भाग लेने के लिए सभी व्यवस्था इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा की जानी चाहिए। प्री-बिड मीटिंग केवल प्रामाणिक/अधिकृत बैंक स्रोत से संपूर्ण निविदा में किसी भी प्रावधान पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का एक मंच है और बैंक किसी भी परिस्थिति में किसी भी नियम और शर्तों को शिथिल

करने के किसी भी दावे को हतोत्साहित करता है। बैंक यदि आवश्यक समझे तो अपने विवेक से प्री-बिड मीटिंग को रद्द कर सकता है।

3.10. निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय, बैंक आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in)/ई-पोर्टल पर संशोधन/शुद्धिपत्र जारी करके इस दस्तावेज़ में संशोधन कर सकता है। जारी किया गया कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र इस दस्तावेज़ का हिस्सा होगा। भावी निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाएं तैयार करने में किसी भी/सभी संशोधनों/शुद्धिपत्र को ध्यान में रखने के लिए उचित समय देने के लिए, बैंक अपने विवेक पर निविदा जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा सकता है।

3.11. निविदाकर्ता को अपनी निविदा की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित सभी लागतें वहन करनी होंगी, तथा निविदा प्रक्रिया के संचालन या परिणाम की परवाह किए बिना बैंक उन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

3.12. बोलियाँ (भाग I और भाग II) बैंक की प्रक्रियाओं के अनुसार निर्दिष्ट तिथियों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएँगी। केवल उन बोलीदाताओं की भाग-II (वित्तीय बोली) जो तकनीकी-वाणिज्यिक बोली (भाग-I) में अर्हता प्राप्त करेंगे, को बाद की तिथि पर खोला जाएगा, जिसके लिए अर्हता प्राप्त करने वाले निविदाकर्ताओं को सूचना दी जाएगी।

3.13. कीमतों के साथ निविदा भाग-I के खुलने की तिथि से छह महीने की अवधि के लिए वैध रहेगी, जिसकी अवधि बोलीदाता(ओं) के साथ करार पर बैंक द्वारा आगे बढ़ाई जा सकती है। बोलीदाता निविदा की वैधता के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं लेगा या उद्धृत दरों में बदलाव नहीं करेगा।

3.14. बैंक अपने विवेकानुसार किसी भी निविदाकर्ता से उसकी निविदा के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकता है, तथा उसे जवाब देने के लिए उचित समय दे सकता है। निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी स्पष्टीकरण जो बैंक के अनुरोध के जवाब में नहीं है, पर विचार नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण के लिए बैंक का अनुरोध और उत्तर लिखित में होगा। निविदा के मूल्यांकन में बैंक द्वारा खोजी गई अंकगणितीय त्रुटियों के सुधार की पुष्टि के

अलावा, निविदा की कीमतों या सार में कोई परिवर्तन नहीं मांगा जाएगा, पेश नहीं किया जाएगा या अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई निविदाकर्ता बैंक के स्पष्टीकरण के अनुरोध में निर्धारित तिथि और समय तक अपनी निविदा के बारे में स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो उसकी निविदा अस्वीकार की जा सकती है।

3.15. निविदा प्रपत्र में निर्धारित शर्तों का अनुपालन न करने वाले निविदा दस्तावेजों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। सशर्त बोलियों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3.16. किसी फर्म की ओर से प्रस्तुत ई-निविदा पर फर्म के सभी भागीदारों या उस भागीदार द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके पास प्रस्तावित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए फर्म की ओर से आवश्यक प्राधिकार है, अन्यथा निविदा को बैंक द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है।

3.17. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार करने तथा किसी एक या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.18. बैंक न्यूनतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी समय बिना कोई कारण बताए या निविदाकर्ताओं के प्रति कोई दायित्व वहन किए बिना निविदा प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।

3.19. यदि कार्य सौंपे जाने के बाद यह पाया जाता है कि ठेकेदार को 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले पिछले 3 वर्षों के दौरान किसी भी सरकारी विभाग/संस्था/स्वायत्त निकाय/स्थानीय निकाय/नगर पालिका/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि द्वारा काली सूची में डाला गया है, तो बैंक अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

3.20. सफल निविदाकर्ता को अनुबंध के साथ अनुलग्नक-डी के अनुसार 35,000/- (केवल पैंतीस हजार) रुपये की निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करनी होगी। निष्पादन बैंक गारंटी अनुबंध की समाप्ति तक वैध होनी चाहिए और दावे की अवधि अनुबंध की समाप्ति के दो महीने बाद तक वैध होगी। पीबीजी केवल अनुबंध के सफल समापन और एजेंसी या उसके कर्मचारियों की ओर से देनदारियाँ न होने की स्थिति से संतुष्ट होने के बाद

ही वापस की जाएगी। किसी भी शिकायत या लंबित बकाया के मामले में, सभी बकाया, देनदारियों आदि को समायोजित करने के बाद ही पीबीजी का मोचन किया जाएगा।

3.21. **यदि सफल बोलीदाता अनुलग्नक-डी के अनुसार पैरा 3.20 में निर्दिष्ट निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है या** निर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुबंध निष्पादित करने में विफल रहता है तो बैंक अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

3.22 कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा दी गई अनुलग्नक-डी के अनुसार निष्पादन बैंक गारंटी कंपनी/एजेंसी/फर्म के असंतोषजनक प्रदर्शन या कार्य के निष्पादन में विफलता या लापरवाही के कारण भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ द्वारा उठाई गई हानि/क्षति, यदि कोई हो, की स्थिति में रद्द, जब्त या विनियोजित की जा सकेगी। कंपनी/एजेंसी/फर्म को ऐसे विनियोजन पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

3.23. बोली की कीमतें केवल भारतीय मुद्रा में ही उद्धृत की जाएंगी। बोलीदाताओं को वित्तीय बोली में उल्लिखित सभी वस्तुओं की दर उद्धृत करनी चाहिए। प्रदान की गई दरों में इस निविदा दस्तावेज़ के कार्य के दायरे (धारा '5' के अंतर्गत) में उल्लिखित सभी सेवाएँ शामिल होनी चाहिए।

3.24. वित्तीय बोली के किसी भी घटक के बारे में, चाहे जानबूझकर या गलती से, आतर्किक रूप से कम कीमत का सहारा लेने वाले बोलीदाताओं की बोलियां अयोग्य ठहराई जाएंगी और ऐसे बोलीदाताओं को, भले ही वे पात्र उद्धरणों में से सबसे कम की पेशकश करें, पात्र बोलीदाताओं में से सफल बोलीदाता के रूप में चयन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा। हालांकि बैंक ऐसे बोलीदाताओं को बैंक द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उनकी दर विश्लेषण/ब्रेकअप और टिप्पणियां मांगकर अपने प्रस्ताव को प्रमाणित करने का अवसर दे सकता है। हालांकि, यदि कुल अनुबंध राशि, कर्मचारी श्रेणी के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी और संबंधित वैधानिक घटकों का भुगतान करने के लिए भी अपर्याप्त पाई जाती है, तो उसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और ऐसे बोलीदाताओं को, भले ही वे पात्र उद्धरणों में से सबसे कम की पेशकश करें, को सफल बोलीदाता के रूप में चयन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा। ऐसी अयोग्यता के संबंध में बैंक का निर्णय बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा अंतिम होगा।

3.25. यदि निविदाकर्ताओं द्वारा समान सेवाएं प्रदान करने वाले संगठनों से प्राप्त ग्राहक रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो निविदा को उसके भाग II को खोले बिना ही सीधे खारिज कर दिया जाएगा। यदि बैंक के किसी भी कार्यालय / शाखा / विभाग द्वारा भेजी गई प्रतिक्रिया या प्रदर्शन रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो निविदा को उसके भाग II को खोले बिना ही सीधे खारिज कर दिया जाएगा।

3.26. बैंक उस बोलीदाता को अनुबंध प्रदान करेगा जो निविदा दस्तावेज में शामिल नियमों और शर्तों के अनुसार अनुबंध को संतोषजनक ढंग से निष्पादित करने के लिए 'पात्र और योग्य' पाया गया हो, और ऐसे बोलीदाता को 'सफल बोलीदाता' कहा जाएगा।

3.27. बैंक सफल बोलीदाता को कार्य सौंपने के बारे में एक पत्र के माध्यम से सूचित करेगा और केवल जब ऐसा पत्र भेजा जाएगा, तभी यह माना जाएगा कि बैंक द्वारा अनुबंध सौंपने के संबंध में निर्णय ले लिया गया है।

3.28. सफल बोलीदाता को लेटर ऑफ अवार्ड जारी होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर एक करार निष्पादित करना होगा, जिसका मसौदा अनुलग्नक-ई में उल्लिखित है। यदि सफल बोलीदाता निर्धारित अवधि के भीतर औपचारिक करार पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या नियत तारीख को काम शुरू करने में विफल रहता है, तो लेटर ऑफ अवार्ड रद्द माना जाएगा और जमा की गई ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा, बैंक ऐसे व्यक्तियों/एजेंसियों/कंपनियों को तीन साल की अवधि के लिए किसी भी निविदा में भाग लेने या बैंक में कोई भी काम करने से रोकने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हालांकि, ऐसा करने से पहले, बैंक सात दिनों का कारण बताओ नोटिस (एससीएन) दे सकता है और व्यक्ति/एजेंसी/कंपनी को अंतिम रूप से प्रतिबंधित करने का फैसला करने से पहले एससीएन पर प्रस्तुत किसी भी उत्तर पर विचार कर सकता है। इस संबंध में क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई लखनऊ का निर्णय अंतिम होगा।

3.29. अनुबंध, कार्य सौंपे जाने वाले पत्र में उल्लिखित तिथि से पूर्ण रूप से लागू होगा। अनुबंध करार के संबंध में कानून द्वारा लगाए गए स्टाम्प शुल्क और इसी तरह के शुल्क (यदि कोई हो) की लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी।

3.30. यदि मूल्य बोली का कोई भी कॉलम/क्षेत्र रिक्त पाया जाता है, तो संबंधित बोलीदाताओं की निविदा को गैर-अनुक्रियाशील माना जाएगा और बैंक द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। हालाँकि, इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम है।

3.31. प्रत्येक बोलीदाता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह सभी स्थानीय परिस्थितियों और कारकों जिनका अनुबंध के निष्पादन और वस्तुओं की लागत पर कोई प्रभाव पड़ता हो, से पूरी तरह परिचित हो। बोलीदाता द्वारा बैंक का प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाने के बाद किसी भी स्थानीय परिस्थिति या कारक के कारण मूल्य में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

3.32. **किसी फर्म की ओर से प्रस्तुत ई-निविदा पर फर्म के सभी भागीदारों या किसी अधिकृत भागीदार, जिसके पास प्रस्तावित अनुबंध करने के लिए फर्म की ओर से आवश्यक प्राधिकार हो, द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएंगे, अन्यथा निविदा को बैंक द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है।**

3.33. सफल बोलीदाता द्वारा अनुलग्नक-डी के अनुसार प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने तथा बैंक के साथ अनुबंध निष्पादित करने के पश्चात बैंक द्वारा सफल बोलीदाता की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। बैंक ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं देगा। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी अनुबंध दिए जाने के 30 दिनों के भीतर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। यदि बोलीदाता निविदा की वैधता के दौरान अपनी बोली वापस लेता है तो ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

3.34. निविदा प्रस्तुत करने से पहले, बोलीदाता सामान्य नियम और शर्तें, कार्य का दायरा, अन्य सभी निर्देश आदि देख सकता है, जिसके आधार पर बैंक द्वारा कार्य दिया जाएगा और सफल बोलीदाता द्वारा निष्पादित किया जाना आवश्यक होगा। बोलीदाता निर्दिष्ट पात्रता और अन्य मानदंडों के बारे में खुद को संतुष्ट कर सकते हैं। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सामान्य नियम और शर्तें प्रकृति में सांकेतिक हैं और वे बैंक को निविदाकर्ता पर ऐसे अन्य या अन्य नियम और शर्तों को लागू करने या उन पर सहमत होने या उन नियमों और शर्तों को बदलने, संशोधित करने या छोड़ने से नहीं रोकेंगे, जिन्हें इस निविदा के तहत दिए जा रहे कार्य के उचित और विधिवत निष्पादन के लिए आवश्यक माना जाता है।

3.35. सफल बोलीदाता द्वारा उपर्युक्त खण्डों की अपेक्षाओं का अनुपालन न करना, कार्य आबंटन को रद्द करने तथा प्रस्तुत बैंक गारंटी को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार होगा।

3.36. क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई लखनऊ के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और उनका निर्णय सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

4. सामान्य नियम और शर्तें

4.1. ठेकेदार को ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948; कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923; मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936; कर्मचारी भविष्य निधि (और विविध प्रावधान) अधिनियम, 1952; बोनस भुगतान अधिनियम 1965; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; कर्मचारी दायित्व अधिनियम, 1938; बच्चों का रोजगार अधिनियम 1938; मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, और/या कोई अन्य नियम/विनियम और/या क़ानून जो उन पर लागू हो सकते हैं और समय-समय पर संशोधित किए गए हैं, के वैधानिक प्रावधानों का पालन करना होगा। बैंक के पास आवश्यक समझे जाने पर ऐसे अनुपालन का प्रमाण मांगने का अधिकार सुरक्षित है और ठेकेदार उसका पालन करेगा। ठेकेदार उपर्युक्त विधायी अधिनियमों या किसी अन्य वैधानिक प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और आरबीआई, लखनऊ को सभी प्रकार की चूक, गलती, उल्लंघन और/या उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के गैर-अनुपालन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे, मांग, हानि, चोट और व्यय से क्षतिपूरित रखेगा। ठेकेदार के द्वारा यहां और/या उक्त अधिनियमों/नियमों/विनियमों/या इनमें से किसी के तहत बनाए गए किसी उपनियम या नियम के तहत किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में, आरबीआई, लखनऊ ऐसे किसी भी नुकसान या खर्च को, जो उसे ऐसे दावों, मांग, हानि या चोट के कारण उठाना पड़े या वहन करना पड़े, ठेकेदार के मासिक भुगतान और सुरक्षा जमाराशि से वसूलने का हकदार होगा।

4.2. अंतिम भुगतान जारी करने से पहले, ठेकेदार से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा कि उसने वास्तव में उसके द्वारा नियुक्त किए गए सभी प्रकार के श्रमिकों के सभी बकाए का भुगतान किया है, जो कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम नहीं है और ठेकेदार ने ठेका श्रमिकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में सीएलआरए अधिनियम के प्रावधानों का

अनुपालन किया है। न्यूनतम मजदूरी और / या परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को भारत सरकार द्वारा मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित किया जाएगा, यानी हर साल 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा, और बोलीदाता दरों की पेशकश करते समय नवीनतम संरचना के साथ-साथ भविष्य में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखेंगे।
इस कार्य के लिए तैनात किए जाने वाले 'सेवा कर्मियों' को न्यूनतम मजदूरी और अन्य वैधानिक भुगतान मुख्य श्रम आयुक्त (सी), श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम न्यूनतम मजदूरी / वीडीए संशोधन आदेशों के अनुसार 'भवन संचालन - अकुशल - क्षेत्र ए' श्रेणी के अनुसार होंगे। दरें उद्धृत करते समय, बोलीदाता मौजूदा दरों और मजदूरी और संबंधित घटकों में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखेगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा। बोलीदाता के संदर्भ के लिए वर्तमान दैनिक न्यूनतम मजदूरी दरें इस प्रकार हैं: - भवन संचालन - अकुशल - 'क्षेत्र ए': - ₹805/- (मूल मजदूरी + वीडीए)

4.3. The contractor shall not sublet the contract. In case of any violation in this regard, the Bank reserves the right to terminate the contract.

4.4. बैंक केवल ठेकेदार के साथ बातचीत करेगा, तथा ठेकेदार को समय-समय पर बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक के परिसर में उसके द्वारा नियुक्त/पदस्थापित कर्मचारियों को कार्य सौंपना होगा। यदि बैंक को ठेकेदार द्वारा नियुक्त/पदस्थापित किसी कर्मचारी का कार्य/आचरण अपमानजनक लगता है तथा उसे सौंपे गए कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का उचित निर्वहन नहीं करता है, तथा वह ठेकेदार को ऐसे कार्य/आचरण की सूचना देता है, तो ठेकेदार बैंक के हितों की रक्षा के लिए तत्काल उचित कार्रवाई करेगा। इसके अलावा, यदि बैंक अपने परिसर में पदस्थापित किसी कर्मचारी को उसके आचरण और व्यवहार या उसे सौंपे गए कर्तव्य के निष्पादन को बैंक द्वारा संतोषजनक नहीं माना जाता है या किसी अन्य कारण से उसे वापस बुलाने की मांग करता है, तो ठेकेदार तत्काल उक्त कर्मचारी को उपयुक्त अन्य कर्मचारी से/पदस्थापित करेगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम, निर्णायक तथा ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाएं बैंक की संतुष्टि के अनुरूप हैं।

4.5. ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी हमेशा ठेकेदार के प्रत्यक्ष और अनन्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहेंगे और उसके कर्मचारियों का कोई भी प्रतिस्थापन बैंक द्वारा नामित अधिकारी के परामर्श से किया जाना चाहिए। किसी भी कर्मचारी द्वारा छुट्टी लेने की स्थिति में, उसके स्थान पर निर्बाध सेवा/विकल्प व्यवस्था सुनिश्चित करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। ठेकेदार को कर्मचारियों में बार-बार बदलाव से बचना चाहिए।

4.6. बैंक किसी भी कर्मचारी की मृत्यु, चोट या दुर्घटना जो उनके कर्तव्यों और रोजगार के दौरान उत्पन्न हो सकती है, के लिए किसी भी मुआवजे के भुगतान हेतु जिम्मेदार नहीं होगा। यह सहमति और समझ है कि ठेकेदार अकेले ही ऐसे कर्मचारियों को ऐसे नुकसान या मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

4.7. ठेकेदार को मासिक आधार पर, अगले महीने के दूसरे सप्ताह में या उससे पहले बैंक को बिल प्रस्तुत करना होगा, लेकिन तैनात जनशक्ति को बैंकिंग चैनलों/डिजिटल भुगतान प्रणालियों के माध्यम से पिछले महीने का वेतन/मजदूरी वितरित करने के बाद ही। मासिक बिलों के साथ इसके प्रमाण प्रस्तुत किए जाएं।

4.8. बैंक आमतौर पर इस अनुबंध के अंतर्गत सभी देय भुगतान उस महीने के काम पूरा होने के बाद चालान जमा करने की तारीख से 20 दिनों के अंदर, लेकिन 45 दिनों के भीतर कर देगा, बशर्ते जमा किया गया चालान सभी तरह से उचित और सही हो और उसके साथ सभी आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न हों, जैसे उस महीने की उपस्थिति पत्रक, वेतन भुगतान विवरण (वेतन पर्ची के साथ, बैंक स्टेटमेंट, ईएसआई, ईपीएफ, पिछले महीने का भुगतान किया गया बोनस इत्यादि। बिल का निपटान वास्तविक प्रदान की गई सेवाओं के मासिक शुल्क के आधार पर किया जाएगा न कि काल्पनिक आधार पर। किसी भी परिस्थिति में बैंक द्वारा अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। बिल के भुगतान के लिए उपर्युक्त सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उपर्युक्त सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने की स्थिति में या यदि यह पाया जाता है कि भुगतान किए गए वेतन या ईपीएफ, ईएसआई, बोनस इत्यादि में कोई कमी है, तो बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। बैंक ठेकेदार को देय राशि से स्रोत पर कर (टीडीएस) और समय-समय पर लागू सभी अन्य करों, शुल्कों की कटौती करेगा।

4.9. चालान के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाने चाहिए:

4.9.1 व्यक्तिगत ठेका मजदूरों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक्वेटेंस (मजदूरी) रजिस्टर एवं उपस्थिति रजिस्टर
4.9.2 समेकित ब्रेकअप विवरण के साथ ईएसआई प्रेषण चालान।
4.9.3 यथा लगू ईपीएफ धन प्रेषण चालान, समेकित विवरण के साथ।
4.9.4 आवधिक रिटर्न, यदि कोई हो, दाखिल करने के 07 दिनों के भीतर श्रम आयुक्त, श्रम सुविधा पोर्टल, ईपीएफओ और ईएसआईसी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
4.9.5 बैंक परिसर में तैनात कर्मचारियों के लिए पिछले महीने का वेतन विवरण और क्रेडिट-बैंक स्टेटमेंट का प्रमाण।
4.9.6 कॉफी वेंडिंग मशीन रीडिंग रजिस्टर
4.9.7 प्रावधानों का रजिस्टर
4.9.8 ठेकेदार को वार्षिक आधार पर एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि वह आयकर अधिनियम की धारा 206 एबी और धारा 206 सीसीए के प्रयोजनों के लिए 'निर्दिष्ट व्यक्ति' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।

4.10. इस अनुबंध के लिए दरें अनुबंध अवधि के दौरान निश्चित और अंतिम होंगी। बोलीदाता, बोली लगाते समय, न्यूनतम मजदूरी में संभावित अर्ध-वार्षिक संशोधन को ध्यान में रखेंगे।

4.11. बैंक ठेकेदार को देय राशि से समय-समय पर लागू सभी स्रोत कर और अन्य सभी वैधानिक कर प्रभार आदि काट लेगा।

4.12. ठेकेदार को बैंक को अपने कर्मचारियों/पर्यवेक्षकों के नाम, फोटो और अस्थायी/स्थायी पते की सूची जमा करानी होगी, साथ ही बैंक परिसर में काम करने के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारियों के पूर्ववृत्त पर पुलिस सत्यापन रिपोर्ट भी जमा करानी होगी और इसे वार्षिक अंतराल या बैंक द्वारा निर्धारित आवृत्ति पर भी जमा करानी होगी। ठेकेदार की यह जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि बैंक परिसर में काम करने के लिए उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और उनका चरित्र अनुकरणीय है।

4.13. ठेकेदार को कार्य संभालने के एक महीने के भीतर, बैंक में सेवा के लिए उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के उत्तम स्वास्थ्य के संबंध में सरकारी/ट्रस्ट अस्पताल से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, और उसके

बाद वार्षिक अंतराल पर या बैंक के चिकित्सा सलाहकार द्वारा निर्धारित आवृत्ति पर, ऐसा करना होगा, अन्यथा बैंक अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

4.14. निविदाकर्ता की ओर से या उसके द्वारा किसी भी तरह का प्रचार या उनके चयन के संबंध में राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव डालने पर उसे प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे निविदाकर्ता/ओं को अगले तीन वर्षों के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो ऐसी अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी।

4.15. ठेकेदार को ही हर समय उसके कर्मचारियों को देय वेतन/मजदूरी का भुगतान करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि यह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी और अन्य भत्तों से कम न हो। ठेकेदार को इस संबंध में सभी आवश्यक रिकॉर्ड रखने होंगे। यह सहमति और समझ है कि ऐसे कर्मचारियों को बैंक का कर्मचारी नहीं माना जाएगा और उनका बैंक के खिलाफ कोई दावा या अधिकार नहीं होगा। हालांकि, बैंक, जब भी उचित समझे ऐसे रिकॉर्ड मांगने और निरीक्षण करने का अधिकार रखता है, और ठेकेदार को उचित समय के भीतर (जो कि चार दिनों से अधिक नहीं हो) बैंक को ये उपलब्ध कराने होंगे। ठेकेदार को वैधानिक प्रावधानों के अनुसार लागू भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निधि के संबंध में नियोक्ता के अंशदान का भुगतान करना होगा और ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके सभी कर्मचारियों को तुरंत ईएसआई कार्ड और ईपीएफ कार्ड दिए जाएं।

4.16. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निष्पादन बैंक गारंटी, ठेकेदार के असंतोषजनक प्रदर्शन या उसके द्वारा तैनात कार्मिकों की विफलता या लापरवाही के कारण आरबीआई, लखनऊ द्वारा उठाई गई हानि/क्षति या ठेकेदार द्वारा अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में जब्त या विनियोजित की जा सकेगी।

4.17. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके कर्मचारी किसी भी समय बैंक की लिखित सहमति के बिना किसी ट्रस्ट, खातों के मामले या बैंक द्वारा किए गए या संभाले गए किसी भी लेन-देन का प्रकटन या खुलासा न करें और बैंक के मामलों के बारे में किसी को भी जानकारी न दें। यह खंड उस जानकारी पर लागू नहीं होता है, जो सार्वजनिक डोमेन में आती है।

4.18. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके कर्मचारी बैंक द्वारा निर्देश दिए जाने पर कोविड-19/किसी भी वायरस की जाँच करवाएं, जो यदि बैंक द्वारा व्यवस्था की जाती है तो बैंक की लागत पर होगी अन्यथा ठेकेदार के स्वयं के खर्च पर होगी।

4.19. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण)

4.19.1 ठेकेदार "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा। बैंक परिसर में उसके कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत को ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति समक्ष दर्ज किया जाएगा और ठेकेदार शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

4.19.2 ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

4.19.3 यदि घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल हों तो ठेकेदार को किसी भी मौद्रिक क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होना होगा, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न साबित हो जाता है।

4.19.4 ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

4.20. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी कर्मचारी निर्दिष्ट समय सीमा के बाद बैंक के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा या न रहेगा, जब तक कि कंपनी/एजेंसी/फर्म के दायित्वों को पूरा करने के लिए और केयरटेकर/बैंक के सुरक्षा अधिकारियों की अनुमति से ऐसा करना बिल्कुल आवश्यक न हो।

4.21. यह अनुबंध 01 जुलाई, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक नौ महीने की अवधि के लिए,जैसा कि अनुबंध संबंधी दायित्वों में निर्धारित है, वैध होगा। हालाँकि, संबंधित कंपनी/फर्म/एजेंसी द्वारा संतोषजनक प्रदर्शन और अनुबंध संबंधी दायित्वों के पालन के अधीन अनुबंध को दो साल की अवधि (एक बार में एक वर्ष) के लिए सालाना बढ़ाया जा सकता है।

4.22. यदि कानून/नियम/विनियमों द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, तो ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 या किसी अन्य कानून/नियम के तहत श्रम लाइसेंस/पंजीकरण का नवीनीकरण/प्राप्ति समय पर की जाए। उक्त लाइसेंस/पंजीकरण को अनुबंध की अवधि के दौरान लागू रखा जाएगा और ठेकेदार द्वारा उसके अंतर्गत सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

4.23. ठेके को किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को तीन महीने का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है और ऐसी अवधि के प्रारंभ की तिथि दूसरे पक्ष द्वारा नोटिस की उचित पावती की तिथि से गिनी जाएगी। इस तरह की समाप्ति से पक्षों के अधिकारों या दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो इससे पहले किए गए किसी कार्य के कारण या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। हालांकि, बैंक अपनी प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण या ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदार की ओर से किसी गंभीर कदाचार या चूक के जवाब में ठेके की अवधि के दौरान किसी भी समय अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस तरह के कदाचार/चूक की गंभीरता का फैसला पूरी तरह से क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई, लखनऊ द्वारा किया जाएगा, जिसके कारण बैंक ठेकेदार को तीन महीने का नोटिस दिए बिना किसी भी समय ठेके को समाप्त कर सकता है।

4.24. यदि किसी भी तरह की सेवा में गिरावट/दिवालियापन, खराब/कमी वाली सेवा, अनियमित गतिविधियाँ, खाद्य पदार्थों, सामग्री, स्वच्छता आदि की गुणवत्ता में असंतोषजनक/कमी हो तो बैंक जुर्माना लगाने और 10 दिनों के नोटिस पर ठेके को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। ऐसी स्थिति में, कैटरर द्वारा जमा की गई सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

4.25. ठेके के तहत ठेकेदार द्वारा तैनात कर्मचारी सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए ठेकेदार के कर्मचारी होंगे। उनका बैंक के खिलाफ कोई दावा या अधिकार नहीं होगा, न ही वे बैंक के कर्मचारी के रूप में किसी एसोसिएशन/अधिकार का दावा कर सकते हैं। ठेकेदार या उनके कर्मचारी बैंक के नाम/लोगो का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

4.26. इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों की लापरवाही के कारण भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक संपत्ति को होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई ठेकेदार से की जाएगी और ऐसी वसूली की राशि ठेकेदार को उचित सूचना देने के बाद निर्धारित की जाएगी। इस संबंध में निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा। हालांकि, ठेकेदार को क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा, जिनका निर्णय इस मामले में अंतिम होगा।

4.27. जैसा कि इस निविदा दस्तावेज में अन्यत्र उल्लेख किया गया है, यहाँ एक बार फिर स्पष्ट किया जाता है कि बैंक के पास ठेकेदार द्वारा अपने कर्मचारियों/पर्यवेक्षकों के साथ किसी भी सेवा शर्त को लागू करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो बैंक के परिसर में कार्यरत हो सकते हैं क्योंकि उनका बैंक से कोई संबंध नहीं है। हालाँकि, अपनी जानकारी, शोध और विश्लेषण, बजट/प्रशासनिक उपाय के लिए यदि बैंक ठेकेदार से कोई जानकारी माँगता है, तो उसे चार दिनों के भीतर उसे उपलब्ध कराना होगा। साथ ही, बैंक को उम्मीद है कि ठेकेदार अपने कर्मचारियों के लिए अच्छे नियोक्ता होंगे ताकि बैंक को उनकी अपनी सेवा शर्तों के बारे में उनसे कोई शिकायत न मिले क्योंकि इससे बैंक की छवि को संभावित रूप से शर्मिंदगी हो सकती है।

4.28. ठेकेदार बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण, जो इस समझौते के संबंध में संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान कंपनी/एजेंसी/फर्म के कब्जे या ज्ञान में आ सकती है, किसी तीसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा और हर समय उसे सबसे सख्त गोपनीयता में रखेगा। कंपनी/एजेंसी/फर्म अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगी, सिवाय इसके कि यह उसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक हो। कंपनी/एजेंसी/फर्म नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या अन्यत्र कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित नहीं करेगी, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगी या प्रकट नहीं

करेगी। कंपनी/एजेंसी/फर्म किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगी। उपर्युक्त का पालन न करने को कंपनी/एजेंसी/फर्म की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता क्षतिपूर्ति का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा। कंपनी/एजेंसी/फर्म अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी के गैर-प्रकटीकरण के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में कंपनी/एजेंसी/फर्म के दायित्व किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति के बाद भी बने रहेंगे।

4.29. इस निविदा दस्तावेज में निहित जानकारी या बाद में बैंक या उसके किसी कर्मचारी द्वारा निविदाकर्ता(ओं) को मौखिक रूप से या दस्तावेजी रूप में प्रदान की गई जानकारी, इस निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियमों और शर्तों और अन्य सभी नियमों और शर्तों के अधीन होगी, जिनके अधीन ऐसी जानकारी प्रदान की जाती है।

4.30. इस निविदा दस्तावेज का उद्देश्य निविदाकर्ता(ओं) को उनके प्रस्तावों के निर्माण में सहायता के लिए जानकारी प्रदान करना है। यह निविदा दस्तावेज प्रत्येक निविदाकर्ता को आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करने का दावा नहीं करता है। यह निविदा दस्तावेज सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, और बैंक और/या उसके कर्मचारियों के लिए यह संभव नहीं है कि वे इस निविदा दस्तावेज को पढ़ने या उपयोग करने वाले प्रत्येक बोलीदाता के निवेश उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति और विशेष आवश्यकताओं पर विचार करें। प्रत्येक निविदाकर्ता को अपना उचित परिश्रम और विश्लेषण स्वयं करना चाहिए और इस निविदा दस्तावेज में दी गई जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जांच करनी चाहिए और जहां आवश्यक हो, उचित स्रोतों से स्वतंत्र सलाह प्राप्त करनी चाहिए। बैंक और कर्मचारी निविदा दस्तावेज की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के बारे में किसी भी कानून, क़ानून, नियम या विनियमन के तहत कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं और न ही कोई दायित्व वहन करेंगे। यह दस्तावेज और इसमें दी गई जानकारी गोपनीय है और केवल निविदाकर्ता(ओं) के उपयोग के लिए है।

4.31. यद्यपि इस दस्तावेज़ को तैयार करते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी निविदाकर्ता स्वयं को संतुष्ट कर लेंगे कि दस्तावेज़ सभी मामलों में पूर्ण है। किसी भी विसंगति की सूचना तुरंत इस कार्यालय को दी

जानी चाहिए। यदि ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना की तिथि से सात (7) दिनों के भीतर किसी भी निविदाकर्ता से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि यह दस्तावेज़ सभी मामलों में पूर्ण है।

4.32. बैंक इस दस्तावेज़ को सभी प्रारूपों और अनुलग्नकों सहित संशोधित, संशोधित या अनुपूरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

4.33. **अप्रत्याशित घटना:** यदि अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय, कोई भी पक्ष अप्रत्याशित घटना के अधीन है, जिसे नागरिक अशांति, दंगे, सरकारी कार्य, हड़ताल, तूफान, दैवीय कृत्य आदि कहा जा सकता है, जो किसी भी पक्ष को उसके दायित्व का निर्वहन करने से रोक सकता है, तो प्रभावित पक्ष को ऐसी घटना के घटित होने के बारे में तुरंत दूसरे पक्ष को सूचित करना चाहिए। ऐसी घटना के कारण कोई भी पक्ष अपने दायित्वों के ऐसे प्रदर्शन के संबंध में अनुबंध को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा। अनुबंध के तहत दायित्वों को घटना के समाप्त होने या अस्तित्व में न रहने के बाद यथाशीघ्र फिर से शुरू किया जाएगा। यदि अनुबंध के तहत किसी दायित्व का प्रदर्शन घटना के कारण पारस्परिक रूप से सहमत अवधि, यदि कोई हो, या सात दिन, जो भी अधिक हो, से अधिक रोका जाता है या विलंबित होता है, तो कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

4.34. इस निविदा के पैरा 4.23 के अनुसार अनुबंध अवधि की समाप्ति या समाप्ति पर ठेका समाप्त माना जाएगा।

4.35. बैंक अपने सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर निम्नलिखित में से किसी भी आकस्मिकता के तहत अनुबंध को समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा:

i. यदि ठेकेदार द्वारा दी गई सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं और निविदा शर्तों के अनुरूप नहीं हैं, तो ठेके की अवधि के दौरान किसी भी समय नोटिस जारी किया जाएगा।

ii. ठेकेदार द्वारा ठेके की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर। ठेकेदार द्वारा बैंक की लिखित स्वीकृति के बिना अनुबंध या उसके किसी भाग को किसी तीसरे व्यक्ति को सौंपने पर या उसके अंतर्गत किसी लाभ या

हित को किसी तीसरे व्यक्ति को सौंपने पर, अनुबंध के पूरे भाग या हिस्से को किसी तीसरे व्यक्ति को उप-पट्टे पर देने पर।

iii. सक्षम न्यायालय द्वारा ठेकेदार को दिवालिया घोषित कर दिया गया हो।

4.36 उपर्युक्त वर्णित स्थिति में, ठेके की समाप्ति के लिए नोटिस अवधि, यदि कोई हो, के दौरान ठेकेदार ऐसी नोटिस अवधि की समाप्ति तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन पहले की तरह करता रहेगा। ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी भी आधार पर अनुबंध की समाप्ति पर उसके द्वारा तैनात सभी व्यक्तियों को हटा दे तथा यह सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए किसी भी प्रकार का व्यवधान/बाधा/समस्या उत्पन्न न करे।

4.37. ठेकेदार की मृत्यु, अशक्तता, दिवालियापन या किसी अन्य कारण या परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाली आपात स्थितियों की स्थिति में, ठेके की देनदारियों का वहन निम्नलिखित द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों पर किया जाएगा, जैसा कि बैंक उचित समझे, अर्थात्:

4.37.1 एकमात्र स्वामी के मामले में कानूनी उत्तराधिकारी

4.37.2 कंपनी या फर्म के मामले में अगले निदेशक/भागीदार

4.38 बैंक ठेके को रद्द कर सकता है तथा मामले की परिस्थितियों के अनुसार, जैसा वह उचित समझे, मामले को निपटाने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।

4.39. किसी भी जांच, पूछताछ, विवाद या अपील के दौरान किसी भी पक्ष को वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.40 यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस निविदा की शर्तों व नियमों पर किसी भी विवाद की स्थिति में, निविदा दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा (यदि निविदा अंग्रेजी व किसी अन्य भाषा में एक साथ जारी की जाती है)।

4.41 समझौते के अंतर्गत या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, विवाद/मतभेद की स्थिति में (उन मामलों को छोड़कर जिनके निर्णय के लिए समझौते के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है) उसे क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई लखनऊ या उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा।

4.42 मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। यदि ऐसा मध्यस्थ, जिसके पास मामला मूल रूप से भेजा गया था, स्थानांतरित हो रहा है या अपना पद छोड़ रहा है या त्यागपत्र दे रहा है या काम करने से इनकार कर रहा है या अपने काम की उपेक्षा कर रहा है या किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ है, तो क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई लखनऊ समझौते की शर्तों के अनुसार निवर्तमान मध्यस्थ के स्थान पर मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा तथा इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति संदर्भ को उसी चरण से आगे बढ़ाने का हकदार होगा जिस चरण पर उसके पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ा गया था।

4.43 माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के उपरोक्त प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन, आवश्यकतानुसार अंतरिम अवार्ड और/या निर्देश दे सकता है और समय-समय पर लागू होने वाले किसी भी संशोधन को इस खंड के तहत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू माना जाएगा।

4.44 इस समझौते के लिए लखनऊ स्थित न्यायालयों को एकमात्र क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा। आपसी सहमति से विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थता तंत्र का भी उपयोग किया जा सकता है।

4.45 ठेकेदार को नियोजित कर्मचारियों के पूर्ववृत्त की स्थानीय पुलिस/खुफिया एजेंसी के माध्यम से जांच/सत्यापन करवाना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अवांछनीय व्यक्ति तैनात नहीं है तथा इस आशय का प्रमाण पत्र बैंक को प्रस्तुत करना होगा।

4.46 हितों का टकराव: बोलीदाताओं के हितों का टकराव नहीं होना चाहिए। नीचे बताए गए हितों के टकराव वाले किसी भी या सभी बोलीदाताओं को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

i. दो अलग-अलग आवेदनों में बोलीदाताओं के पास नियंत्रण हिस्सेदारी (शेयरधारिता) समान है

ii. ऐसे बोलीदाताओं (उनके कार्मिकों और उप-ठेकेदारों सहित) को ठेका नहीं दिया जाएगा, जिनका आरबीआई स्टाफ के ऐसे सदस्यों के साथ पारिवारिक संबंध है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परियोजना से जुड़े हैं।

4.47 बैंक अपनी प्रशासनिक सुविधा और आवश्यकता के अधीन, एक वर्ष या अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए ठेके के विस्तार पर विचार करेगा। हालाँकि, ऐसा विस्तार, जो किसी भी समय एक वर्ष से अधिक नहीं होगा, ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा तैनात कर्मचारियों के संतोषजनक प्रदर्शन पर भी निर्भर करेगा। ठेकेदार के पास ठेके के विस्तार का कोई दावा नहीं होगा। बैंक ठेकेदार के प्रदर्शन पर निर्णय लेने और ठेके के विस्तार पर विचार करने का एकमात्र अधिकार सुरक्षित रखता है।

4.48 यदि बैंक द्वारा ठेके के विस्तार पर निर्णय लिया जाता है, तो बैंक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या बैंक द्वारा तय किए गए किसी अन्य आधार पर ठेके की वित्तीय बोली में उद्धृत मदों पर ही संशोधन पर विचार कर सकता है।

4.49 वित्तीय बोली में ठेकेदार द्वारा पेश की गई बोली पक्की और अंतिम होगी और बैंक ठेके की अवधि के दौरान दरों में संशोधन के लिए ठेकेदार के दावे पर विचार नहीं करेगा। ठेकेदार को बोली लगाते समय, वैधानिक वेतन, ईपीएफ, ईएसआई आदि में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखना चाहिए और वित्तीय बोली में संबंधित मद के तहत इन वृद्धिशील लागतों को समायोजित करने के लिए अपनी सर्वोत्तम दरों की पेशकश करनी चाहिए।

4.50 ठेकेदार को इस करार को बैंक से रोजगार प्राप्त करने या बैंक की संपत्ति पर किसी भी दावे के रूप में नहीं समझना चाहिए। ठेका पूरा होने पर या जब भी बैंक तय करे, ठेकेदार और उसके कर्मचारी तुरंत और शांतिपूर्वक परिसर खाली कर देंगे और क्रॉकरी आइटम / बैंक द्वारा पहले उन्हें सौंपे गए सभी सामान को सौंप देंगे।

4.51 व्यक्ति और संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में बीमा:

a) ठेकेदार या उसके किसी कर्मचारी की ओर से किसी भी कारक की चूक से उत्पन्न होने वाले सभी व्यक्तियों, चीजों को होने वाली चोट या क्षति तथा संपत्ति को होने वाले सभी नुकसान के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा। ठेकेदार नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा तथा उसे उपरोक्त वर्णित किसी भी व्यक्ति या संपत्ति को होने वाली किसी भी चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाले सभी और किसी भी नुकसान और व्यय के संबंध में हानिरहित रखेगा और साथ ही किसी भी क़ानून के तहत या अन्यथा चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के विरुद्ध और ऐसे दावों के परिणामस्वरूप किसी भी पुरस्कार या मुआवजे या क्षति के संबंध में भी।

b) ठेकेदार, अपने स्वयं के व्यय पर, इस ठेके के अंतर्गत वास्तविक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने तक नियोक्ता द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ, ठेकेदारों के लिए सभी जोखिम पॉलिसी के विरुद्ध नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नाम (भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ का नाम पॉलिसी में पहले स्थान पर रखा जाएगा) में ठेके की पूरी राशि के लिए बीमा के लिए एक सभी जोखिम पॉलिसी को प्रभावी और बनाए रखेगा और कार्य शुरू करने से पहले नियोक्ता के पास ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को जमा करेगा।

c) ठेकेदार बैंक के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्यों के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी बात के संबंध में किए जाने वाले सभी दावों के विरुद्ध बैंक को क्षतिपूर्ति भी करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा और अपने स्वयं के व्यय पर, नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किसी बीमा कंपनी के साथ ऐसे जोखिम के विरुद्ध बैंक और ठेकेदार (रिज़र्व बैंक, लखनऊ का नाम पॉलिसी में पहले स्थान पर रखा जाएगा) के संयुक्त नाम से एक बीमा पॉलिसी को प्रभावी बनाएगा और अनुबंध के वास्तविक पूर्ण होने तक बनाए रखेगा और कार्य प्रारंभ होने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को जमा कर देगा। पॉलिसी के तहत कवरेज की न्यूनतम सीमा किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए प्रति व्यक्ति ₹2 लाख और किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए संपत्ति के नुकसान के संबंध में ₹5 लाख होगी, जो कि कुल मिलाकर ₹7 लाख की अधिकतम सीमा के अधीन होगी। ठेकेदार नियोक्ता को सभी दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति भी करेगा, जो नियोक्ता पर किए जा सकते हैं, चाहे वे कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के तहत हों या किसी अन्य लागू कानून के तहत, इस ठेके की अवधि के दौरान या ठेकेदार के किसी कर्मचारी के संबंध में सामान्य कानून के तहत और अपने स्वयं के खर्च पर, ठेके के वास्तविक रूप से पूरा होने तक या बैंक द्वारा अनुमोदित किसी बीमा

कंपनी के साथ, ऐसे जोखिमों के विरुद्ध बीमा पॉलिसी बनाए रखेगा और इस ठेके की अवधि के दौरान समय-समय पर नियोक्ता के पास ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को जमा करेगा।

d) यदि ठेकेदार उपरोक्त प्रावधान के अनुसार बीमा नहीं कराता है, तो बैंक ऐसा बीमा कर सकता है तथा भुगतान किए गए प्रीमियम की राशि ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी राशि से काट सकता है।

e) ठेकेदार किसी भी देयता के लिए जिम्मेदार होगा जो ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों द्वारा कवर नहीं की जाती है, तथा किसी भी व्यक्ति, पशु या इस ठेके के दोषपूर्ण निष्पादन के कारण होने वाली अन्य सभी क्षतियों के लिए भी जिम्मेदार होगा, चाहे वह क्षति किसी भी कारण से हुई हो।

f) ठेकेदार, कार्य से संबंधित किसी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली सभी लागतों, प्रभारों या खर्चों तथा उससे उत्पन्न होने वाली किसी क्षति या मुआवजे के संबंध में भी नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति प्रदान करता रहेगा।

g) ऐसे चूक के संबंध में ठेकेदार के विरुद्ध नियोक्ता के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियोक्ता ठेकेदार को देय किसी भी राशि से नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई किसी भी क्षति, प्रतिपूर्ति लागत, प्रभार और अन्य व्यय की राशि को काटने का हकदार होगा और जो इस खंड के तहत ठेकेदार को देय हैं।

4.52 इस ठेके के तहत किसी भी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ठेकेदार, एक व्यक्ति/मालिक होते हुए, मृत हो जाता है या अपने संविदात्मक दायित्व का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता है, तो बैंक के पास ऐसे समाप्ति के लिए कोई दायित्व उठाए बिना ठेके को समाप्त करने का विकल्प होगा। हालाँकि, यदि ठेकेदार ने अपने प्रतिनिधि को असाइनमेंट के वैध और पंजीकृत विलेख के तहत नियुक्त किया था और ठेके पर हस्ताक्षर करते समय बैंक को संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, तो बैंक, यदि चाहे तो, उसी नियम और शर्तों के तहत और बैंक द्वारा तय की गई अवधि के लिए एक नया समझौता करके उक्त प्रतिनिधि के साथ ठेका जारी रख सकता है।

4.53 इसमें निहित किसी भी बात का अर्थ ठेकेदार के पक्ष में लाउंज/कैंटीन परिसर का कोई किरायेदारी सृजित करने के रूप में नहीं लगाया जाएगा और बैंक अपने प्रस्ताव मात्र से इस खानपान व्यवस्था को समाप्त कर सकता है, पुनः प्रवेश कर सकता है, पुनः ले सकता है तथा लाउंज/कैंटीन परिसर पर पूर्ण रूप से कब्जा बनाए रख सकता है।

4.54 i) ठेकेदार बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा, जो इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान ठेकेदार के कब्जे या ज्ञान में आ सकता है और हर समय उसे सबसे सख्त गोपनीयता में रखेगा। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय रखेगा, सिवाय इसके कि यह उसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक हो। ठेकेदार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या अन्यत्र कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगा या प्रकट नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त का पालन न करने को ठेकेदार की ओर से ठेके का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक क्षतिपूर्ति का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा।

ii) विक्रेता और उसके कर्मचारी बैंक की आईएस (सूचना सुरक्षा) नीति का पालन करेंगे। इसके अलावा, सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैंक के परिपत्र के पैराग्राफ 3बी (क्या न करें) (एफ) के अनुसार, "कोई भी आधिकारिक जानकारी या सामग्री जो विक्रेता और विक्रेता द्वारा नियोजित कर्मचारियों के पास, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके रोजगार के दौरान आई है, चाहे वह गोपनीय हो या अन्यथा बैंक की पूर्व अनुमति के बिना सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं की जानी चाहिए। विक्रेता और विक्रेता द्वारा नियोजित कर्मचारियों को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करना चाहिए जो उन्हें बदनाम करे या गोपनीयता के उल्लंघन के बराबर हो। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को विक्रेता की ओर से ठेके का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक ठेके के नुकसान/समापन का दावा करने का हकदार होगा और बैंक कानूनी उपायों का अनुसरण कर सकता है।

5. ठेकेदार द्वारा कार्य और सेवाओं का दायरा

5.1. ठेकेदार बैंक द्वारा निर्धारित स्थानों पर बैंक परिसर के अंदर कॉफी/चाय/दूध/इंस्टेंट सूप आदि वितरित करने के लिए दो चाय/कॉफी वेंडिंग मशीनें स्थापित की जाएंगी। मशीन कार्य दिवसों (शनिवार और बैंक द्वारा सूचित आवश्यकता के आधार पर अन्य दिनों सहित) पर काम करेंगी। ठेकेदार बैंक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त कॉफी/चाय वेंडिंग मशीनों की भी व्यवस्था करेगा।

5.2. बैंक में कॉफी/चाय परोसने के लिए काम करने का समय आम तौर पर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9.15 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगा। बैंक द्वारा तय किए गए अनुसार अतिरिक्त मशीन की स्थापना और मैनपावर उपलब्ध कराने की सूचना विक्रेता को दी जाएगी और उसे उद्धृत दर पर ही उपलब्ध कराया जाना चाहिए। चाय/कॉफी वेंडिंग मशीन, चाय/कॉफी की विशिष्ट गुणवत्ता/मात्रा, स्थायी आधार पर कार्यदिवस/घंटों में वृद्धि आदि प्रदान करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई हो, के लिए दरें आपसी सहमति से तय की जा सकती हैं।

5.3 कॉफी/चाय वेंडिंग मशीन में स्वचालित रूप से वितरित किए जाने वाले पेय पदार्थों की संख्या रिकॉर्ड करने की क्षमता होनी चाहिए। एक "**कॉफी वेंडिंग मशीन रीडिंग रजिस्टर**" बनाए रखा जाना चाहिए, जहां मशीन की दैनिक खुलने और बंद होने की स्थिति की रीडिंग दर्ज की जानी चाहिए। रजिस्टर और मशीन का बैंक के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा।

5.4. ठेकेदार को एक "**प्रावधानों का रजिस्टर**" बनाए रखना चाहिए, जिसमें आवक स्टॉक प्रावधानों और प्रावधानों की दैनिक स्टॉक स्थिति दर्ज की जानी चाहिए। रजिस्टर को ठेकेदार द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और समय-समय पर बैंक के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

5.5. पेय पदार्थ अच्छी गुणवत्ता वाले बायो-डिग्रेडेबल पेपर कप (150 मिली) में परोसे जाएंगे। अच्छी गुणवत्ता वाले लकड़ी के स्टिरर, चीनी, देशी चीनी ठेकेदार को अपने खर्च पर उपलब्ध करानी होगी। बैंक, यदि आवश्यक हो, तो ठेकेदार को बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए क्रॉकरी में पेय पदार्थ की आपूर्ति करने की सलाह भी दे सकता है।

5.6. इंस्टेंट सूप को अच्छी गुणवत्ता वाले बायो-डिग्रेडेबल पेपर कप (150 मिली) में परोसा जाएगा। अच्छी गुणवत्ता वाले लकड़ी के स्टिरर ठेकेदार को अपने खर्च पर उपलब्ध कराने होंगे। बैंक, यदि आवश्यक हो, तो ठेकेदार को बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए क्रॉकरी में पेय पदार्थ की आपूर्ति करने की सलाह भी दे सकता है।

5.7. कॉफी वेंडिंग मशीन (सीवीएम) की तकनीकी आवश्यकता:

i. सीवीएम एक साथ चाय और कॉफी वितरित करेगा। वितरित की जाने वाली चाय/कॉफी को **चाय/कॉफी के लिए पहले से तैयार मिश्रण का उपयोग करके नहीं बनाया जाना चाहिए।**

ii. सीवीएम में पेय पदार्थों के उपयोग और वितरण मात्रा की निगरानी के लिए प्रोग्रामयोग्य इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण शामिल होगा।

iii. सीवीएम केवल ताजा दूध का उपयोग करेगा, किसी भी प्रकार के दूध पाउडर का उपयोग नहीं करेगा।

iv. सीवीएम गर्म दूध, चाय (मानक एवं स्ट्रॉग), कॉफी (मानक एवं स्ट्रॉग) और गर्म पानी जैसे पेय पदार्थ वितरित करेगा।

5.8. कोटेशन में प्रस्तावित सभी प्रकार की चाय डिप्स (असम, नींबू, अदरक, ग्रीन टी, मसाला चाय आदि), ताजा दूध, इंस्टेंट सूप सैशे आदि का पर्याप्त स्टॉक ठेकेदार द्वारा बनाए रखा जाएगा और आपूर्ति की जाएगी।

5.9. मशीनों का रखरखाव करने वाला व्यक्ति स्थापित मशीनों को प्रतिदिन साफ करेगा। मशीनों का निवारक रखरखाव ठेकेदार द्वारा अपने खर्च पर मासिक आधार पर किया जाएगा। ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि मशीनों की नियमित रूप से सफाई की जाए और स्वच्छता मानकों को बनाए रखा जाए। ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि मशीनें बिना किसी रुकावट के काम करती रहें।

5.10 बैंक चाय और कॉफी तैयार करने के लिए पानी, वेंडिंग मशीनों की स्थापना और संचालन के लिए विद्युत प्वाइंट तथा कॉफी वेंडिंग मशीनों से संबंधित प्रावधानों, कटलरी और क्रॉकरी के भंडारण के लिए स्थान उपलब्ध कराएगा।

5.11 ठेकेदार को कार्य के लिए नीचे उल्लिखित न्यूनतम संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा:

विवरण/पोर्टफोलियो	**नियोजित किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या**
पेय पदार्थों की तैयारी और आपूर्ति के लिए सेवा कर्मचारी	02

*बैंक पेय पदार्थों की आपूर्ति के लिए व्यक्तियों की संख्या बढ़ा या घटा भी सकता है, जिसके लिए अतिरिक्त/कम जनशक्ति की आवश्यकता हो सकती है। तदनुसार, राशि बढ़ाई/घटाई जाएगी और देय राशि आपसी परामर्श और क्षेत्रीय निदेशक के पूर्व अनुमोदन पर तय की जाएगी।

यदि कोई कर्मचारी छुट्टी पर चला जाता है या नौकरी से इस्तीफा दे देता है, तो बैंक को पूर्व सूचना देकर वैकल्पिक कर्मचारियों की व्यवस्था करना ठेकेदार की जिम्मेदारी है।

5.12. ठेकेदार द्वारा तैनात सभी श्रमिक या कर्मचारी ठेकेदार के कर्मचारी माने जाएंगे और ऐसे श्रमिकों/कर्मचारियों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निविदाकर्ता द्वारा नियोजित व्यक्ति निविदाकर्ता के कर्मचारी होंगे और न तो निविदाकर्ता और न ही उसके कर्मचारियों को बैंक में किसी भी रोजगार का दावा करने का कोई अधिकार होगा। निविदाकर्ता/कार्य के लिए तैनात व्यक्तियों और बैंक के बीच कोई नियोक्ता कर्मचारी संबंध नहीं होगा।

5.13. ठेकेदार उन व्यक्तियों को वेतन, वैधानिक न्यूनतम मजदूरी और अन्य कानूनी बकाया राशि के भुगतान के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा जो ठेके के तहत बैंक द्वारा अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से नियोजित हैं। ठेकेदार सभी लागू कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य होगा और किसी भी देयता के मामले में ठेकेदार द्वारा बैंक को क्षतिपूर्ति की जाएगी।

5.14. ठेकेदार को अपने द्वारा नियोजित श्रमिकों को समय पर वेतन/मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना होगा और इस आशय का प्रमाण पत्र कि वेतन/मजदूरी का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है, हर महीने बैंक को प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, ठेकेदार को हर महीने इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा

कि विभिन्न श्रम कानूनों और ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम,1970 के तहत सभी दायित्वों का अनुपालन किया गया है। बैंक को ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए वेतन/मजदूरी के विवरण को सत्यापित करने के लिए ठेकेदार से बैंक स्टेटमेंट मांगने का अधिकार होगा और ठेकेदार द्वारा श्रम कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक किसी भी अन्य दस्तावेज़ की मांग करने का भी अधिकार होगा।

5.15 ठेकेदार बैंक में तैनात कर्मचारी को बीमा कवर प्रदान करेगा। ठेकेदार अपने स्वयं के व्यय पर, ठेके के वास्तविक समापन तक, बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नाम से एक अनुमोदित कार्यालय/कंपनी के साथ, काम शुरू होने की तारीख से लेकर काम पूरा होने की तारीख तक बीमा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कामगार मुआवजा नीति को प्रभावी बनाने और बनाए रखने की व्यवस्था करेगा। यदि बैंक परिसर में काम करते समय कामगारों/संविदा कर्मचारियों को अपने जीवन या व्यक्ति या संपत्ति को कोई नुकसान या क्षति होती है, तो तैनात संविदा कर्मचारी या उनके कानूनी उत्तराधिकारी बैंक से किसी भी बीमा/नौकरी लाभ का दावा नहीं करेंगे।

5.16. ठेकेदार या उसके कर्मचारियों या एजेंटों के किसी कार्य, चूक, चूक या लापरवाही के कारण बैंक या उसके परिसर या उसके किसी भाग या उसके किसी फिक्सचर या फिटिंग या बैंक की किसी संपत्ति को हुई क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

5.17. ठेकेदार सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री/ब्रांड का उपयोग करने के लिए सहमत है। बैंक समय-समय पर ठेकेदार द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता लेखापरीक्षा जाँच करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

5.18. ठेकेदार को ध्यान रखना चाहिए कि बैंक परिसर में धूम्रपान, शराब पीना, पान/तम्बाकू चबाना सख्त वर्जित है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक परिसर में तैनात कर्मचारी इस नियम का सख्ती से पालन करें।

5.19. ठेकेदार को इस ठेके के अंतर्गत आने वाली सेवाओं के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कानून या केंद्र सरकार कानून के तहत आवश्यक लाइसेंस, यदि कोई हो, प्राप्त करना होगा।

5.20. **सफाई और स्वच्छता:** ठेकेदार को स्वच्छता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करना होगा, जिसका समय-समय पर बैंक और बैंक के चिकित्सा सलाहकार द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। पेंट्री क्षेत्रों के असंतोषजनक/अस्वच्छ रखरखाव या प्रदान की गई सेवाओं में चूक या किसी भी टूट-फूट/कमी आदि के मामले में दंड के रूप में कटौती की जाएगी। ठेकेदार को पेंट्री क्षेत्रों में हर समय सफाई बनाए रखनी होगी। खराब स्वच्छता या सफाई के बार-बार होने पर ठेका समाप्त कर दिया जाएगा।

5.21. **सेवा स्टाफ:** किसी भी समय सेवा स्टाफ की संख्या दो से कम नहीं होनी चाहिए। बैंक किसी भी तरह से ठेकेदार द्वारा नियोजित सेवा स्टाफ की रोजगार शर्तों या किसी भी श्रम कानून के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ठेकेदार द्वारा तैनात सभी स्टाफ साफ-सुथरी वर्दी पहने होंगे, उनके पास नाम की प्लेट लगी होगी, साथ ही वे विनम्र, शिष्ट और चौकन्ने होंगे। उन्हें व्यापार की बुनियादी बातों और टेबल सेवा के आवश्यक अनुभव से परिचित होना चाहिए। सेवारत स्टाफ को वर्दी के साथ हाथ के दस्ताने और उपयुक्त जूते अवश्य पहनना चाहिए। बैंक को किसी भी कर्मचारी/कामगार को बदलने की मांग करने का अधिकार है। किसी भी कर्मचारी द्वारा छुट्टी लेने की स्थिति में, पेंट्री में निर्बाध सेवा और स्थानापन्न व्यवस्था सुनिश्चित करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। स्थानापन्न उपलब्ध कराए बिना अनुपस्थित रहने की स्थिति में, बैंक अनुपस्थित कर्मचारी के दैनिक वेतन के बराबर जुर्माना लगाने का अधिकार रखता है और इसे ठेकेदार के बिलों से काट लिया जाएगा। हालांकि, ठेकेदार को कर्मचारियों को बार-बार बदलने से बचना होगा। ठेकेदार को काम संभालने के एक महीने के अंदर खाद्य संचालकों के लिए सरकारी/ट्रस्ट अस्पतालों द्वारा जारी की गई मेडिकल रिपोर्ट और काम पर रखे गए कर्मचारियों के पिछले जीवन-वृत्त का पुलिस सत्यापन करवाना होगा और बैंक को ये प्रमाण-पत्र जमा करवाने होंगे, ऐसा न करने पर बैंक को ठेका समाप्त करने का अधिकार है। ठेकेदार को अपने सभी कर्मचारियों/कामगारों का विवरण रखना होगा और ऐसे कर्मचारियों की सूची बनानी होगी, जिसमें उनके नाम, आवासीय पता, आयु आदि जैसे विवरण हों, साथ ही बैंक परिसर में काम पर रखे जाने वाले अपने कर्मचारियों की हाल ही की तस्वीर भी बैंक को देनी होगी। फर्म के केवल उन्हीं कर्मचारियों को काम पर रखने की अनुमति दी जाएगी, जिनका पुलिस सत्यापन हो चुका है और जिनके पास संतोषजनक मेडिकल जांच रिपोर्ट है।

5.22. **इस टेंडर दस्तावेज़ का हिंदी संस्करण केवल सुलभ संदर्भ के लिए है। इसके किसी भी खंड की व्याख्या के संदर्भ में उत्पन्न होने वाले किसी भी संदेह / अंतर के मामले में, इसका अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।**

6. ई-निविदा में भाग लेने के लिए

6.1. मैं/हम एतद्द्वारा निविदा दस्तावेज में निर्धारित सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

6.2. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने इस बोली पर हस्ताक्षर करने से पहले (ई-निविदा के मामले में डिजिटल हस्ताक्षर) इसमें निहित सभी नियमों, शर्तों और निर्देशों को पढ़ लिया है और पूरी तरह से समझ लिया है तथा मैं/हम उक्त नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए स्वयं वचनबद्ध हैं।

6.3. मैं/हम ठेका ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम,1970; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923; मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936; कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952; बोनस भुगतान अधिनियम, 1965; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; नियोजक-दायित्व अधिनियम, 1938; बालक नियोजन अधिनियम, 1938; मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, और/या समय-समय पर लागू होने वाले अन्य नियमों/विनियमों और/या क़ानूनों के वैधानिक प्रावधानों का पालन करूंगा/करेंगे।

6.4. मैं/हम बैंक परिसर में पर्याप्त संख्या में स्टाफ नियुक्त करके कार्यक्षेत्र में उल्लिखित खानपान सेवाएं प्रदान करूंगा/ करेंगे।

6.5. मैं/हम भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ में ₹14,000/- (चौदह हजार रुपए मात्र) की बयाना जमा-राशि (ईएमडी) जमा करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

6.6. यदि मुझे/हमें ठेका दिया जाता है, तो मैं/हम बैंक को 35,000/- (पैंतीस हजार रुपए मात्र) की निष्पादन बैंक गारंटी देने के लिए सहमत हूँ/हैं। यदि हम ठेके को निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो हम एतद्द्वारा इस बात से सहमत हैं कि यह राशि भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ द्वारा जब्त कर ली जाएगी। निष्पादन बैंक

गारंटी जमा करने और बैंक के साथ ठेका करार (करार प्रारूप के मसौदे के लिए अनुलग्नक-ई का संदर्भ ग्रहण करें) के निष्पादन के बाद बैंक द्वारा ईएमडी वापस कर दी जाएगी, जिस पर बैंक कोई ब्याज नहीं देगा।

6.7. मैं/हम यह भी समझते हैं कि क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ को बिना कोई कारण बताए मेरी/हमारी निविदा बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है और उनका निर्णय मेरे/हमारे लिए बाध्यकारी होगा।

6.8. मैं/हम कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन करूंगा/करेंगे।

ठेकेदार(ओं)/भागीदार(भागीदारों) के हस्ताक्षर

नाम/ Name:
सील/ Seal:
पता/ Address:
दिनांक/ Date:
स्थान/ Place:

अनुलग्नक/Annexure – ए/A

Part – 1 टेक्नो कमर्शियल बोली

क्र. सं.	विवरण	बोलीदाता द्वारा भरा जाना है	टिप्पणियां
1	बोलीदाता/फर्म/संस्था/कंपनी का नाम		
2	संस्था का प्रकार (स्वामित्व/साझेदारी/प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कंपनी/एलएलपी आदि। (साझेदारी/एसोसिएशन के ज्ञापन आदि की प्रतियां प्रस्तुत करें)		कृपया दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करें।
3	फर्म के मालिक/भागीदारों/निदेशकों का नाम पदनाम सहित		
4	पंजीकरण का विवरण (फर्म, कंपनी आदि)	पंजीकरण प्राधिकारी दिनांक संख्या	कृपया दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करें।
5	निगमन/पंजीकरण का वर्ष		
6	संस्था का पंजीकृत पता	साक्ष्य के रूप में संलग्न दस्तावेज़ निर्दिष्ट करें	कृपया दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करें।
7	संपर्क व्यक्ति / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पदनाम, टेलीफोन नंबर, ई-मेल		
8	बैंक विवरण (खाते का प्रकार और आईएफ़एससी कोड सहित) जहां संस्था द्वारा भुगतान प्राप्त किया जाएगा	a) खाते का नाम b) खाता संख्या c) खाता प्रकार d) बैंक का नाम e) शाखा का नाम f) शाखा का आईएफ़एस	कृपया दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करें।

		कोड	
9	खानपान सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस (दुकानें एवं प्रतिष्ठान अधिनियम और एफ़एसएसएआई प्रमाणपत्र के अंतर्गत पंजीकरण)। प्रतिलिपि संलग्न करें	प्रमाण के रूप में संलग्न दस्तावेज़ संख्या निर्दिष्ट करें	कृपया दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करें।
10	31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के दौरान समान कार्यों का विवरण बोलीदाताओं के पिछले अनुभव के प्रमाण के रूप में या तो a. तीन समान तरह के पूरे किए गए कार्य (चाय/कॉफी वेंडिंग मशीनों का संचालन) जिनमें से प्रत्येक की लागत ₹2,80,000/- से कम नहीं है या b. दो समान तरह के पूरे किए गए कार्य (चाय/कॉफी वेंडिंग मशीनों का संचालन) जिनमें से प्रत्येक की लागत ₹3,50,000/- से कम नहीं है या c. एक समान तरह का पूरा किया गया कार्य (चाय/कॉफी वेंडिंग मशीनों का संचालन) जिसमें से प्रत्येक की लागत ₹5,60,000/- से कम नहीं है	**(हाँ/ नहीं)** **(Yes / No)**	कृपया अनुलग्नक ए(1) में विवरण भरें और उसके साथ कार्य आदेश, ग्राहक प्रमाणपत्र आदि की प्रतियां अपलोड करें (अनुलग्नक सी के अनुसार ग्राहक का प्रमाणपत्र)
11	31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्थात वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए फर्म का औसत वार्षिक कारोबार (लाख रुपये में)।		कृपया 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित व्यवसाय के ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों (लेखा

			परीक्षित तुलन पत्र एवं लाभ और हानि खाते) के साथ आयकर मूल्यांकन आदेश / आईटी रिटर्न की प्रतियां अपलोड करें या पिछले तीन वर्षों के लिए उनकी ऋण पात्रता और टर्नओवर के समर्थन में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी टर्नओवर प्रमाण पत्र अपलोड करें।
12	विभिन्न वैधानिक अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकरण संख्या जैसे जीएसटी, ईपीएफ, ईएसआई, श्रम लाइसेंस (पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)		
a	जीएसटी		कृपया दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करें।
b	ईपीएफ़		
c	ईएसआईसी		
d	श्रमिक पहचान संख्या		
e	व्यवसाय कर		
f	पैन		
13	क्या ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 और ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1971 के तहत श्रम विभाग के साथ पंजीकृत है, यदि हां, तो पंजीकरण की तारीख बताएं। (प्रमाण पत्र / पंजीकरण की एक प्रति प्रस्तुत की जानी है)		

14	क्या आप पहले किसी संगठन के साथ किसी मुकदमे में शामिल रहे हैं? यदि हाँ, तो कृपया विवरण प्रस्तुत करें।		कृपया दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करें।
15	क्या किसी भी निष्पादित कार्य में कोई सिविल मुकदमा लंबित है? यदि हां, तो विवरण प्रस्तुत करें।		
16	कोई अन्य जानकारी जो बोलीदाता को प्रासंगिक लगे।		
17	क्या निविदा दस्तावेज विधिवत हस्ताक्षरित और मुहरबंद हैं? संलग्न। (कृपया निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करें)		
18	क्या 14,000/- रुपये की ईएमडी का भुगतान किया गया है और ईएमडी के भुगतान का प्रमाण/विवरण की पर्ची संलग्न है।	हाँ/ नहीं	कृपया दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करें।
20	अनुलग्नक-ए में निर्दिष्ट एजेंसी/ठेकेदार के लेटर हेड पर वचनबद्धता (2)		कृपया अपलोड करें

भाग-I- तकनीकी बोली को विधिवत भरा जाना चाहिए तथा तकनीकी बोली प्रस्तुत करते समय अपलोड किया जाना चाहिए।

यदि ऐसी कोई सूचना असत्य या झूठी पाई जाती है तो बोलीदाता को आगे भाग लेने से रोक दिया जाएगा तथा उसे प्रक्रियाधीन निविदा या दिए गए अनुबंध से वंचित कर दिया जाएगा।

बैंक उपर्युक्त किसी भी विवरण का प्रमाण/सत्यापन मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

दिनांक:
स्थान:

ठेकेदार/फर्म के हस्ताक्षर

अनुबंध-ए (1)

अनुभव - 31 मार्च 2025 तक पिछले 05 वर्षों के दौरान बोलीदाता द्वारा पहले से ही पूरे किए गए समान कार्यों की सूची

क्रम संख्या	उस संस्था का नाम और पता जिसके लिए कार्य निष्पादित किया गया	संपर्क व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम और उनके टेलीफोन नं.	निष्पादित कार्य का मूल्य (रु. में)	ठेके की अवधि
1				
2				
3				

नोट: कार्य आदेश और ग्राहक प्रमाणपत्र (ग्राहक प्रमाणपत्र का प्रारूप अनुलग्नक सी) की प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए

(फर्म/बोलीदाता के अधिकृत व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर कार्यालय मुहर के साथ

अनुबंध-ए (2)

<u>घोषणा</u>

मैं/हम सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ/करते हैं कि:

(a) फर्म/कंपनी अवैध गतिविधियों या वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल नहीं है। बोलीदाता के खिलाफ पुलिस/न्यायालय/नियामक प्राधिकरणों के पास कोई मामला नहीं है।

(b) फर्म/कंपनी पर किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी भी वैधानिक कानून के उल्लंघन के लिए मुकदमा नहीं चलाया गया है या कोई दंड नहीं दिया गया है।

(c) फर्म/कंपनी को किसी भी आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी भी कार्यालय सहित किसी भी संगठन द्वारा निलंबित/असूचीबद्ध/काली सूची में नहीं डाला गया है।

(d) फर्म/कंपनी ने अनुबंध की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले अपने किसी भी ग्राहक द्वारा दिए गए किसी भी अनुबंध को रद्द/त्याग नहीं किया है। फर्म/कंपनी को अपने ग्राहकों के साथ हुए सभी विवादों का विवरण देना होगा और उनकी स्थिति प्रस्तुत करनी होगी।

(फर्म/बोलीदाता के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और नाम कार्यालय मुहर के साथ)

भारतीय रिज़र्व बैंक

मानव संसाधन प्रबंध विभाग लखनऊ

आरबीआई, लखनऊ में चाय/कॉफी वेंडिंग मशीनों की स्थापना और संचालन के लिए ई-टेंडर

E-Tender No: RBI/Lucknow Regional Office/HRMD/2/25-26/ET/127 [Installation Tea Vending]

भाग-II

वित्तीय/ कीमत बोली

7. वित्तीय बोली का प्रोफॉर्मा

बोलीदाता को बैंक के ई-टेंडर प्लेटफॉर्म अर्थात एमएसटीसीईकॉमर्स पोर्टल पर अपने सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव भरने होंगे, जिसमें निविदा दस्तावेज में वर्णित नियम एवं शर्तों, सभी विवरण, दिशा-निर्देश, निर्देश, कार्य का दायरा आदि से पूर्ण सहमति होगी। वित्तीय बोली का प्रारूप इस प्रकार है: -

नोट: *निविदाकर्ता को दरें केवल एमएसटीसी पोर्टल पर ऑनलाइन ही भरनी होंगी। कृपया इस दस्तावेज़ को अपलोड न करें।*

क्र.सं.	आइटम/विवरण	दर (रुपये में)
1.	ब्रांडेड सुपीरियर क्वालिटी रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स - एक किलोग्राम	
2.	ब्रांडेड सुपीरियर क्वालिटी असम चाय/ सादा चाय – एक किलोग्राम (डिप सैशे सहित)	
3.	ब्रांडेड सुपीरियर क्वालिटी फ्लेवर्ड चाय (अदरक, इलायची आदि) – एक किलोग्राम (पाउच सहित)	
4.	ब्रांडेड सुपीरियर क्वालिटी ग्रीन टी - एक किलोग्राम (पाउच सहित)	
5.	ब्रांडेड सुपीरियर क्वालिटी लेमन टी – एक किलोग्राम (पाउच सहित)	
6.	ब्रांडेड सुपीरियर क्वालिटी चीनी - एक किलोग्राम (प्रत्येक 5 ग्राम वजन वाले पाउच सहित)	
7.	ब्रांडेड सुपीरियर क्वालिटी टमाटर सूप - एक किलोग्राम (पाउच सहित)	
8.	ब्रांडेड सुपीरियर क्वालिटी 'हॉट एन सोर' सूप - एक किलोग्राम (सैशे सहित)	
9.	ब्रांडेड सुपीरियर क्वालिटी 'बादाम पिस्ता दूध' - एक किलोग्राम (पाउच सहित)	
10.	ब्रांडेड सुपीरियर क्वालिटी 'हॉट चॉकलेट पाउडर' - एक किलोग्राम (पाउच सहित)	
11.	ब्रांडेड सुपीरियर क्वालिटी ताज़ा दूध (फुल क्रीम) – 1 लीटर	

12.	ब्रांडेड सुपीरियर क्वालिटी ताज़ा दूध (टोंड) – 1 लीटर	
13.	ब्रांडेड सुपीरियर क्वालिटी बायोडिग्रेडेबल पेपर कप 150 मिली. प्रत्येक	
14.	बेहतरीन क्वालिटी का लकड़ी का स्टिरर (मानक आकार) – 100 स्टिक का पैकेट	
15.	प्रति मशीन मासिक सेवा शुल्क	
16.	चाय/कॉफी वेंडिंग मशीन चलाने और चाय/कॉफी/सूप/दूध आदि परोसने के लिए प्रति सेवा कर्मचारी मासिक सेवा शुल्क	

टिप्पणी:

1. एक कप की मात्रा 150 मिली है। दरों में जीएसटी शामिल नहीं है।

2. ताजा दूध, चीनी के पैकेट/क्यूब्स, चाय की डिप्स/बैग्स, कॉफी बीन्स, सूप आदि प्रतिष्ठित ब्रांड और अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए। (सांकेतिक ब्रांड - दूध - अमूल/मदर डेयरी आदि)।

3. बैंक चाय/कॉफी आदि की खपत पर कोई न्यूनतम प्रतिबद्धता नहीं देगा। हालांकि, हर महीने लगभग 10,000 कप चाय/कॉफी की खपत होती है। सभी भुगतान केवल वास्तविक खपत के आधार पर किए जाएंगे।

4. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी दरें उद्धृत करते समय बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं/बुनियादी ढांचे पर विचार करें।

5. वित्तीय बोली में मद संख्या 10 के लिए कोटेशन देते समय, बोलीदाताओं को मौजूदा दरों और मजदूरी तथा संबंधित घटकों में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखना चाहिए। ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा। बोलीदाताओं के संदर्भ के लिए वर्तमान दैनिक न्यूनतम मजदूरी दरें इस प्रकार हैं: -

भवन संचालन - अकुशल - 'क्षेत्र ए': - ₹805.00 (मूल मजदूरी + वीडीए)। मुख्य श्रम आयुक्त (सी), नई दिल्ली श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय के आदेश संख्या 1/13(1)/2017-एलएस-॥ दिनांक 20 अप्रैल, 2017 के अनुसार लखनऊ श्रेणी ए क्षेत्र में आता है।

6. कृपया अनुलग्नक-एफ देखें जिसमें वित्तीय बोली का नमूना मूल्यांकन और एल-1 बोलीदाता के चयन की प्रक्रिया दी गई है।

अनुबंध-बी

अनुसूचित बैंक से बैंकर प्रमाणपत्र का प्रारूप

(बोलीदाता द्वारा निविदा के साथ मूल प्रति की स्कैन की गई प्रति अपलोड की जाए

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार मेसर्स/श्री/श्रीमती. ____________________________ जिनका पता आंशिक रूप से दर्ज है, हमारे बैंक के एक सम्मानित ग्राहक हैं और उन्हें रु.______________________(रुपये____ ______________) की सीमा तक किसी भी कार्य के लिए अच्छा माना जा सकता है।

यह प्रमाणपत्र बैंक या उसके किसी अधिकारी पर किसी गारंटी या जिम्मेदारी के बिना जारी किया जाता है।

(हस्ताक्षर और सील)

बैंक के लिए

संपर्क नंबर (अनिवार्य फील्ड):
संपर्क ईमेल पता (अनिवार्य फील्ड):
स्थान:
दिनांक:
नोट:

1. बैंकर्स प्रमाणपत्र बैंक के लेटर हेड पर होना चाहिए।

2. साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाणपत्र में बैंक के साथ दर्ज सभी भागीदारों के नाम शामिल होने चाहिए।

अनुबंध-सी

चाय/कॉफी वेंडिंग मशीन उपलब्ध कराने वाली कंपनी/फर्म/एजेंसी के कार्य निष्पादन के संबंध में ग्राहक का प्रमाणपत्र

ग्राहक का नाम और पता: -

मेसर्स से प्राप्त सेवा(ओं) का विवरण________________________________

क्र संख्या	विवरण	टिप्पणियाँ
1	कार्य की प्रकृति एवं स्थान	
2	ठेका/करार संख्या और दिनांक	
3	**ठेका / करार राशि / कुल भुगतान:**	
4	कार्य शुरू करने की तारीख	
5	कार्य पूर्ण होने की तिथि	
6	एजेंसी के साथ संबंध की अवधि	
7	ठेके के दौरान एजेंसी के साथ विवाद, यदि कोई हो, का विवरण	
8	ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य का विवरण	
9	ठेके की शर्तों एवं नियमों के पालन के संबंध में टिप्पणियाँ	
10	ठेके की शर्तों का पालन न करने पर लगाया गया कोई भी जुर्माना	
11	किसी भी अन्य जानकारी	
12	**ठेकेदार का समग्र प्रदर्शन (कृपया किसी एक पर निशान लगाएं)**	**उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / ख़राब**

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और सील

संपर्क नंबर (अनिवार्य फ़ील्ड):
संपर्क ईमेल पता (अनिवार्य फ़ील्ड):

अनुबंध-डी

प्रतिभूति जमा के बदले में कार्य निष्पादन बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(जारीकर्ता बैंक के नाम से खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर

स्थान: _____________
दिनांक: ______________

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
8-9, विपिन खंड, गोमती नगर
लखनऊ– 226010

महोदया/महोदय

आरबीआई, लखनऊ में चाय/कॉफी वेंडिंग मशीनों की स्थापना और संचालन के लिए ठेका

जबकि

भारतीय रिज़र्व बैंक, 8-9, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010 जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 001 में है, (जिसे आगे "आरबीआई" कहा जाएगा) ने मेसर्स ___________ (ठेकेदार का नाम) (जिसे आगे "ठेकेदार" कहा जाएगा, जिसके अंतर्गत उसके उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी शामिल होंगे) को उक्त परियोजना (जिसे आगे "ठेका" कहा जाएगा) के लिए ठेका प्रदान किया है।

और जबकि ठेकेदार उक्त ठेके द्वारा आरबीआई को कुल ₹______________ (रुपए____ मात्र) (राशि अंकों और शब्दों में) की राशि के लिए एक निष्पादन प्रतिभूति जमा करने के लिए बाध्य है, जो उक्त ठेकेदार द्वारा ठेके में निहित नियमों और शर्तों की उचित पूर्ति के लिए है। हम, ___________________________(बैंक का नाम), (इसके बाद बैंक कहा जाएगा) मेसर्स __________________________________, ठेकेदार के अनुरोध पर, अनुबंध की शर्तों और नियमों की उचित पूर्ति के लिए कार्य निष्पादन गारंटी के रूप में आरबीआई को ₹______________ से अधिक राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

अब यह गारंटी गवाह है

हम (बैंक का नाम) इसके द्वारा आरबीआई, उनके उत्तराधिकारियों के साथ सहमत हैं और यह दायित्व निभाते हैं कि यदि आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ठेकेदार ने ठेके की उक्त शर्तों के तहत

अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, तो यह निष्कर्ष हमारे साथ-साथ उक्त ठेकेदार पर भी बाध्यकारी होगा; हम आरबीआई द्वारा मांगे जाने पर, बिना किसी आपत्ति के आरबीआई को ₹____________________ (केवल _________________________________ रुपए) की राशि या आरबीआई द्वारा मांगी गई कोई कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त ठेके के तहत ठेकेदार के दायित्वों के उचित प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन गारंटी राशि के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के खिलाफ हमारी देयता ₹ ____________ (____ रुपए मात्र) की राशि से अधिक नहीं होगी।

2. हम यह भी वचनबद्धता और पुष्टि करने के लिए सहमत हैं कि पूर्वोक्त रूप से ₹ ____________ (_____________________________________ रुपए मात्र) से अधिक नहीं की राशि हमारे द्वारा बिना किसी आपत्ति या विरोध के, केवल आरबीआई से मांगने पर लिखित में नोटिस प्राप्त होने पर कि राशि उन्हें देय है, भुगतान कर दी जाएगी और हम कोई और सबूत या प्रमाण नहीं मांगेंगे और आरबीआई से मिला नोटिस हमारे लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगा और हमारे द्वारा किसी भी तरह से इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। बैंक आरबीआई को इस प्रकार मांगी गई कोई भी राशि का भुगतान करेगा, भले ही ठेकेदार द्वारा किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या मध्यस्थ/मध्यस्थों के समक्ष लंबित किसी मुकदमे या कार्यवाही में कोई विवाद/विवाद क्यों न उठाया गया हो और इस गारंटी के तहत देयता पूर्ण और स्पष्ट होगी। हम पूर्वोक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचनबद्धता देते हैं।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के अंतर्गत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और ठेकेदार के बीच हुए करार या करारों या अन्य सहमतियों से स्वतंत्र होगा।

4. आरबीआई की लिखित पूर्व सहमति के बिना हम इस गारंटी को रद्द नहीं करेंगे।

हम आगे इस बात पर सहमत हैं कि –

a) उक्त करार की शर्तों को लागू करने या उक्त ठेके और/या इसके अंतर्गत निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों के अनुपालन में आरबीआई की ओर से कोई भी सहनशीलता या कमीशन या आरबीआई द्वारा ठेकेदार को कोई समय देना या कोई रियायत दिखाना या उससे संबंधित कोई भी अन्य मामले हमें और इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व को किसी भी तरह से समाप्त नहीं करेंगे। यह गारंटी केवल ठेकेदार द्वारा अपने दायित्वों के कार्य निष्पादन और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, हमारे द्वारा ₹

_______________ (____ रुपए मात्र) से अधिक नहीं की राशि के भुगतान द्वारा ही समाप्त की जाएगी।

c) इस करार के तहत हमारी देता हमारे घटकों/ग्राहकों की ओर से किसी भी प्रकार की अशक्तता या अनियमितता या उसके तहत उनके दायित्वों या हमारे घटकों के संविधान में विघटन या परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा।

d) यह गारंटी _______________ (दोष दायित्व अवधि से 60 दिन आगे) तक लागू रहेगी, बशर्ते कि यदि आरबीआई चाहे तो इस गारंटी को उनके द्वारा बताई गई अवधि के लिए यहां दी गई शर्तों व नियमों के अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा।

e) इन प्रावधानों के तहत हमारी देयता तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि इन प्रावधानों को उपर्युक्त के अनुसार नवीनीकृत नहीं किया जाता है या उस दिन जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का पालन करते हैं, जिसके लिए आरबीआई द्वारा लिखित प्रमाण पत्र ही निर्णायक सबूत है, चाहे जो भी तारीख बाद में हो। जब तक हमारे खिलाफ़ कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई किसी विस्तारित अवधि के भीतर दायर नहीं की जाती है, तब तक इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ़ आरबीआई के सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएँगे और हम अपने सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त हो जाएँगे।

जिसके साक्ष्य स्वरूप मैंने/हमने बैंक द्वारा विधिवत् अधिकृत होकर दिनांक ___दिन __________ (माह) _________ (वर्ष) को इस गारंटी पर हस्ताक्षर किए हैं तथा मुहर लगाई है।
__________________________ (बैंक का नाम) के लिए तथा उसकी ओर से

प्राधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम:
पदनाम:
संपर्क नं:
ईमेल पता:
बैंक की मुहर/ सील:

उपर्युक्त नामित व्यक्तियों द्वारा बैंक की ओर से हस्ताक्षरित, मुहरबंद तथा निम्नलिखित की उपस्थिति में वितरित:

गवाह 1/ Witness 1
हस्ताक्षर/ Signature:
नाम/ Name:
पता/ Address:
संपर्क नंबर/ Contact No:

(नोट: इस गारंटी के लिए उस राज्य में लागू स्टाम्प शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया गया है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और प्राधिकार को सत्यापित किया जाएगा।

Annexure–E

करारनामा

यह करारनामा एक ओर भारतीय रिजर्व बैंक, 8-9, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010 जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 001 में है (जिसे आगे 'नियोक्ता' कहा जाएगा) और दूसरी ओर से (ठेकेदार का नाम और पूरा पता), (जिसे आगे 'ठेकेदार' कहा जाएगा) के बीच _________ को किया गया।

यहकि ठेकेदार ने e-tender RBI/Lucknow Regional Office/HRMD/2/25-26/ET/127 [Installation Tea Vending] में यथानिर्दिष्ट नियमों व शर्तों और दरों के अनुसार (जो इस समझौते का हिस्सा होगा।) 01 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के लखनऊ स्थित कार्यालय में चाय/कॉफी वेंडिंग मशीनों की स्थापना और संचालन हेतु सेवाएं प्रदान करने की सहमति दे दी है, जिसमें मशीनों को संचालित करने और चाय/कॉफी आदि की आपूर्ति करने के लिए कार्मिकों की नियुक्ति की जाएगी,

ठेकेदार प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी कोई भी सूचना, सामग्री और बैंक की आधारभूत संरचना/ प्रणाली/ उपकरण आदि का विवरण जो इस करार से जुड़े अपने दायित्वों का निवर्हन करते समय उसके कब्जे या संज्ञान में आई हों, किसी अन्य पक्ष के साथ साझा नहीं करेगा और हर समय उसे अत्यंत गोपनीय रखेगा। ठेकेदार करार के विवरण उस सीमा तक निजी और गोपनीय रखेगा जब तक कि इसके तहत दायित्वों का निर्वहन करने अथवा प्रयोज्य कानूनों के पालन हेतु अन्यथा अपेक्षित न हो। ठेकेदार बैंक की लिखित पूर्वानुमति के बिना कार्य के किसी भी विवरण को किसी व्यावसायिक या तकनीकी पत्र अथवा अन्यत्र न तो प्रकाशित करेगा, न ही प्रकाशन की अनुमति देगा अथवा उसे प्रकट करेगा। ठेकेदार की ओर से किसी गोपनीय सूचना के प्रकटन के कारण बैंक को होने वाले नुकसान के लिए ठेकेदार बैंक को क्षतिपूरित करेगा। उपर्युक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार के स्तर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक को यह अधिकार होगा कि वह हुए नुकसान का दावा करे और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दे। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उपयुक्त कार्रवाई करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि इस करार के अंतर्गत गोपनीय सूचना के गैर-प्रकटीकरण के दायित्व का पूर्णतःपालन हो रहा हो। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व, इस अनुबंध के पूरा होने अथवा किसी कारण से अनुबंध समाप्त होने के बाद भी बने रहेंगे।

ठेकेदार/एजेंसी "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगी। बैंक परिसर में अपने कर्मचारी

के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति या राज्य सरकार द्वारा गठित स्थानीय शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

(a) ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

(b) यदि घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल हों तो ठेकेदार को किसी भी मौद्रिक क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होना होगा, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न साबित हो जाता है।

(c) ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(d) ठेकेदार को बैंक परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों की पूर्ण एवं अद्यतन सूची उपलब्ध करानी होगी।

एतद्वारा निम्नानुसार सहमति है:

a. यह करार 01.07.2025 से 31.03.2026 तक वैध माना जाएगा।
b. इस करार से उत्पन्न होने वाले विवादों, यदि कोई हों, का निपटारा केवल लखनऊ शहर के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा।

हस्ताक्षरित और सुपुर्द
Signed and delivered by:

द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक: द्वारा ठेकदार
Reserve Bank of India, By Contractor, By

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में, नाम और पूर्ण पता सहित:

1. .... 1..................................(हस्ताक्षर/signature)
....
....
2. .... 2..................................(हस्ताक्षर/signature)
....

कृत्ते नियोक्ता, आरबीआई **कृते ठेकेदार**

Annex F

वित्तीय बोली का मूल्यांकन - एल 1 बोलीदाता के चयन की प्रक्रिया

क्र.सं. Sl. No.	मद/विवरण/ Items/Description	दर/ Rate (in INR Rs.)		
		निविदाकर्ता X Tenderer X	निविदाकर्ता Y Tenderer Y	निविदाकर्ता Z Tenderer Z
1.	ब्रांडेड सुपीरियर क्वालिटी रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स - एक किलोग्राम	X1	Y1	Z1
2.	ब्रांडेड सुपीरियर क्वालिटी असम चाय/ सादा चाय – एक किलोग्राम (डिप सैशे सहित)	X2	Y2	Z2
3.	ब्रांडेड सुपीरियर क्वालिटी फ्लेवर्ड चाय (अदरक, इलायची आदि) – एक किलोग्राम (पाउच सहित)	X3	Y3	Z3
4.	ब्रांडेड सुपीरियर क्वालिटी ग्रीन टी - एक किलोग्राम (पाउच सहित)	X4	Y4	Z4
5.	ब्रांडेड सुपीरियर क्वालिटी लेमन टी – एक किलोग्राम (पाउच सहित)	X5	Y5	Z5
6.	ब्रांडेड सुपीरियर क्वालिटी चीनी - एक किलोग्राम (प्रत्येक 5 ग्राम वजन वाले पाउच सहित)	X6	Y6	Z6
7.	ब्रांडेड सुपीरियर क्वालिटी टमाटर सूप - एक किलोग्राम (पाउच सहित)	X7	Y7	Z7
8.	ब्रांडेड सुपीरियर क्वालिटी 'हॉट एन सोर' सूप - एक किलोग्राम (सैशे सहित)	X8	Y8	Z8
9.	ब्रांडेड सुपीरियर क्वालिटी 'बादाम पिस्ता दूध' - एक किलोग्राम (पाउच सहित)	X9	Y9	Z9
10.	ब्रांडेड सुपीरियर क्वालिटी 'हॉट चॉकलेट पाउडर' - एक किलोग्राम (पाउच सहित)	X10	Y10	Z10
11.	ब्रांडेड सुपीरियर क्वालिटी ताज़ा दूध (फुल क्रीम) – l लीटर	X11	Y11	Z11

12.	ब्रांडेड सुपीरियर क्वालिटी ताज़ा दूध (टोंड) – 1 लीटर	X12	Y12	Z12
13.	ब्रांडेड सुपीरियर क्वालिटी बायोडिग्रेडेबल पेपर कप 150 मिली. प्रत्येक	X13	Y13	Z13
14.	बेहतरीन क्वालिटी का लकड़ी का स्टिरर (मानक आकार) – 100 स्टिक का पैकेट	X14	Y14	Z14
15.	प्रति मशीन मासिक सेवा शुल्क	X15	Y15	Z15
16.	चाय/कॉफी वेंडिंग मशीन चलाने और चाय/कॉफी/सूप/दूध आदि सर्व करने के लिए प्रति सेवा कर्मचारी मासिक सेवा शुल्क	X16	Y16	Z16
17	**संचयी कुल (ए) (क्र.सं. 1 से 16) Cumulative Total (a) (Sl. No. 1 to 16)**	**Xa**	**Ya**	**Za**

जिस बोलीदाता का संचयी योग (ए) सबसे कम होगा, उसे सबसे कम बोलीदाता (एल1) माना जाएगा और उसे अनुबंध प्रदान किया जाएगा।

कृपया नोट करें: L1 की गणना में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है।

****